रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2016/वैशाख 26, 1938
No. 202] NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2016/VAISAKHA 26, 1938

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2016

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2016

सं.भाराराप्रा/11011/19/2014.—एचआर.।—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित, धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः**— (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 3 में, खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ट) " विभागीय पदोन्नति समिति" से तात्पर्य, जैसाकि विनियम 13ख में विनिर्दिष्ट है, उस समिति से है जिसका गठन उच्चतर ग्रेड (ग्रेडों)/पद(पदों) पर पदोन्नति करने हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

(ठ) " कार्यकारणी समिति" से तात्पर्य उस समिति से है जिसमें प्राधिकरण का अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं।"

3. मूल विनियमों के विनियम 5 में, उप–विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(1) उस पद का नाम, जिस पर यह अध्याय लागू होता है, पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा उससे संबद्ध वेतनमान प्रत्येक श्रेणी के पदों की अनुसूची के कालम 1 से 4 तक में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा, परन्तु शर्त यह है कि महाप्रबंधक स्तर तक के पदों की स्वीकृति संख्या अध्यक्ष के अनुमोदन से बढ़ाई या घटाई जा सकती है और स्वीकृत संख्या की समीक्षा करने संबंधी ऐसी कार्यवाही प्रत्येक वर्ष की जाएगी और प्रशासनिक आदेश के द्वारा घोषित की जाएगी।''

4. मूल विनियमों के विनियम 10 में, उप–विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''अधिवर्षिता की आयु–(1) सभी अधिकारी और कर्मचारी (नियमित तथा संविदा पर नियुक्त किए गए अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा से उस आयु पर अधिवर्षिता प्राप्त करेंगे/सेवा में नहीं रहेंगे (जैसी स्थिति हो) जो आयु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है।''

5. मूल विनियमों के विनियम 12 में, उप–विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(1) प्राधिकरण में प्रबंधक स्तर तक एवं समतुल्य ग्रेडों में सभी रिक्तियां विनियम 13ख के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरी जानी हैं। प्राधिकरण में अन्य सभी रिक्तियों को पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच परिचालित किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रीति से अधिसूचित किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) प्राधिकरण की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन किया जाएगा; और

(ख) एक हिन्दी और एक अंग्रेजी दैनिक समाचार–पत्र तथा रोजगार समाचार में एक सूचनात्मक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।''

6. मूल विनियमों के विनियम 12 में, उप–विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(4) सीधी भर्ती/पार्श्विक प्रविष्टि (लेटरल एन्ट्री) के जरिए सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए **पात्रता का निर्धारण** करने हेतु निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी।''

7. मूल विनियमों के विनियम 12 में, उप–विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(क) तकनीकी संवर्ग की स्वीकृत संख्या के 20% तक के पद केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) संवर्ग से भरे जाएंगे और शेष 80% में से 50 %(अधिकतम) पद प्राधिकरण के स्थायी संवर्ग से तथा 30 % पद अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्त द्वारा भरे जाएंगे। उपर्युक्त किसी भी विधि में कमी रह जाने से, इस कमी को अन्य विधियों में से किसी भी विधि द्वारा पूरा किया जाएगा।''

8. मूल विनियमों के विनियम 13 में, उप–विनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''(3) भाराराप्रा के अधिकारियों/कर्मचारियों के विद्यमान संवर्ग सहित, आमेलन के जरिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति किसी भी समय प्रबंधक, उप महाप्रबंधक और महाप्रबंधक के स्तर पर तकनीकी संवर्ग के स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए; और आमेलन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा जिससे आगामी भर्ती वर्षों में भर्ती में 25% से 50%तक की वृद्धि हो सकेगी।''

9. मूल विनियमों के विनियम 13क और 13क(1) के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

''13ख विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.):

(1) प्राधिकरण में प्रबंधक स्तर तक के पदों के लिए पदोन्नति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (समितियाँ) होंगी। विभागीय पदोन्नति समिति (समितियों) का गठन विनियम 11 के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार ही होगा।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक कब–कब होनी चाहिएः– विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष में एक बार जनवरी महीने में होगी। हर वर्ष जनवरी माह की पहली तारीख को उपलब्ध रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(3) पात्रता का निर्धारण करने हेतु तारीख :– पदोन्नति के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों की पात्रता का निर्धारण करने की तारीख उस वर्ष की जनवरी माह की पहली तारीख को होगी जिस वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है।

(4) विभागीय पदोन्नति समितियों के लिए दिशा–निर्देशः विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में उनका मूल्यांकन सेवा रिकार्ड और विशेषकर पिछले पांच वित्तीय वर्षों के उनके एपीएआर/सीआर के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यदि संगत अवधि के दौरान किसी कारणवश एक या अधिक एपीएआर/सीआर नहीं लिखी गयी हैं तो डीपीसी द्वारा प्रश्नगत अवधि से पूर्ववर्ती वर्षों की एपीएआर/सीआर पर विचार किया जाना चाहिए।

(5) डीपीसी द्वारा पदोन्नति के लिए जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है उनके संबंध में निम्नलिखित बैंच मार्क के संदर्भ में उनकी योग्यता का निर्धारण किया जाएगा और तद्नुसार, उन अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल ''उपयुक्त'' या ''अनुपयुक्त'' (''फिट'' अथवा ''अनफिट'') की कोटि (ग्रेड) में रखा जाएगा :–

वेतनबैड–3 तक के वेतनमान तथा : ''अच्छा''
6600/– रु. श्रेणी वेतन वाले पदों पर पदोन्नति के लिए

(6) केवल अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्हें डीपीसी द्वारा ''उपयुक्त'' (''फिट'') कोटि में रखा गया है (अर्थात् जो निर्धारित बैंचमार्क को पूरा करते हैं) अपने फीडर ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में शामिल तथा व्यवस्थित किया जाएगा। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को डीपीसी द्वारा ''अनुपयुक्त'' ''अनफिट'' कोटि (निर्धारित बैंचमार्क के संदर्भ में) रखा गया है उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, डीपीसी द्वारा जिन्हें ''उपयुक्त'' कोटि (निर्धारित बैंच मार्क के संदर्भ में) में रखा गया है उनकी पदोन्नति में कोई अधिक्रमण नहीं होगा।

(7) पीठासीन अधिकारी के अलावा किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति के बावजूद डीपीसी की कार्यवाही कानूनी दृष्टि से वैध होगी और उसपर कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि सदस्य को विधिवत् आमंत्रित किया गया हो और वह किसी कारण से अनुपस्थित रहा हो और उसे जानबूझकर डीपीसी के विचार–विमर्श से अलग रखने का प्रयास न किया गया हो और आगे शर्त यह है कि डीपीसी के अधिकांश सदस्य बैठक में उपस्थित हों।

(8) डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की सिफारिशों का कार्यान्वयनः डीपीसी की सिफारिशों का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदन किया जाना चाहिए ओर पदोन्नति करने से पहले प्राधिकरण के सतर्कता प्रभाग से भी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।

(9) चुने गए अभ्यर्थियों की सूची (पैनल) नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिए लागू रहेगी।

(10) जिन मुद्दों को उपर्युक्त उप विनियमों के अंतर्गत नहीं रखा गया है उनपर कार्यवाही इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।''

13ग. संविदा पर नियुक्तिः

(1) नियुक्ति के लिए मानदण्डः अध्यक्ष वहां संविदा आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है जहां अधिकारियों के अपने पैत्रक विभाग में अधिवर्षिता की आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा

निर्धारित अधिवर्षिता की आयु से कम है बशर्ते कि ऐसे अधिकारी ने प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कम से कम 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।

(2) नियुक्ति की अवधिः ऐसे अधिकारियों को जिस अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है वह अवधि प्रारम्भ में एक वर्ष होगी और संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अध्यधीन उसमें वार्षिक आधार पर वृद्धि या कटौती की जा सकती है बशर्ते ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अधिवर्षिता की तारीख, जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगी।

(10) मूल विनियमों की अनुसूची में,निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

टिप्पणी 1:– जहां–कहीं भी अनुसूचियों के कालम 5 में प्रतिनियुक्ति को भर्ती की विधि निर्धारित किया गया है वहां उसके कालम 8 में निर्धारित प्रतिनियुक्ति की अवधि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

<u>प्रतिनियुक्ति की अवधिः–</u> प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो।''

(11) मूल विनियमों की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए अर्हता मानदण्ड एवं योग्यता निर्धारित करने वाली अनुसूचियों को विलोपित किया जाएगा, अर्थात् :–

''महाप्रबंधक (निजी निवेश)
उप महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिकी)
प्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिकी)
सहायक प्रबंधक (तकनीकी)
सहायक प्रबंधक (सतर्कता)
जमादार
चपरासी ''

(12) मूल विनियमों में, निम्नलिखित पदों के लिए अर्हता मानदण्ड एवं योग्यता निर्धारित करने वाली अनुसूचियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''उप महाप्रबंधक (मीडिया संपर्क)
उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
उप प्रबंधक (सतर्कता)
सहायक प्रबंधक (विधि)
वरिष्ठ लेखाकार
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
प्रधान निजी सचिव
प्रबंधक (पर्यावरण)
प्रबंधक (राजभाषा)
हिन्दी अनुवादक
वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी
पुस्तकालयाध्यक्ष
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
प्रशासनिक सहायक (पुस्तकालय)
संसदीय सहायक
प्रोटोकॉल सहायक
वरिष्ठ स्वागती
वरिष्ठ अभिलेखपाल

IndiaCode

अभिलेखपाल
प्रशासनिक सहायक (स्टोर्स)
वरिष्ठ मल्टी टास्किंग स्टाफ
मल्टी टास्किंग स्टाफ

(13) मूल विनियमों की अनुसूची में, निम्नलिखित पदों के लिए अर्हता के मानदण्ड और योग्यता निर्धारित करने वाली अनुसूचियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

''महाप्रबंधक (तकनीकी)
उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
प्रबंधक (तकनीकी)
महाप्रबंधक (वित्त)
उप महाप्रबंधक (वित्त)
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
लेखा अधिकारी
कनिष्ठ लेखाधिकारी
लेखाकार
रोकड़िया
महाप्रबंधक (प्रशासन)
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)
प्रबंधक (प्रशासन)
सहायक प्रबंधक (प्रशासन)
निजी सचिव
वैयक्तिक सहायक
आशुलिपिक श्रेणी 'घ'
हिन्दी अधिकारी
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
महाप्रबंधक (विधि)
उप महाप्रबंधक (विधि)
प्रबंधक (विधि)
महाप्रबंधक (पर्यावरण)
उप महाप्रबंधक (पर्यावरण)
प्रबंधक (विधि)
महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिकी)
महाप्रबंधक (परिवहन योजनाकार)
महाप्रबंधक (परिवहन अर्थशास्त्री)
महाप्रबंधक (भूमि अर्जन एवं संपदा प्रबंधन)
केयरटेकर और स्टोर कीपर
स्वागती
स्टाफ कार चालक''

(14) सहायक प्रबंधक (सतर्कता) के 12 पदों का विलोप करके उप प्रबंधक (सतर्कता) के 4 पदों का सृजन किया गया है। पद के लिए पात्रता के मानदण्ड को पूरा करने की शर्त पर विद्यमान पदाधिकारियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप प्रबंधक (सतर्कता) पदनामित किया जाएगा।

IndiaCode

(15) संशोधित अनुसूचियों में ''योजना एवं सूचना प्रणाली'' को फिर से ''सूचना प्रौद्योगिकी'' पदनामित किया गया है।

नीरज वर्मा, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/असा./84]

पाद टिप्पणीः मूल विनियमावली अधिसूचना सं. एनएचएआर–12011/1/95–प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।।, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गयी थी और इसमें पिछला संशोधन अधिसूचना सं. 11012/248/2015–प्रशा., तारीख 15 फरवरी, 2016 द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।।, खण्ड–4, तारीख 19 फरवरी, 2016 में प्रकाशित किया गया था।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विषय–सूची

क्र.सं.	पद
	तकनीकी प्रभाग
1.	महाप्रबंधक (तकनीकी)
2.	उप महाप्रबंधक (तकनीकी)
3.	प्रबंधक (तकनीकी)
4.	उप प्रबंधक (तकनीकी)
	वित्त प्रभाग
5.	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
6.	उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
7.	प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
8.	लेखा अधिकारी
9.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी
10.	वरिष्ठ लेखाकार
11.	लेखाकार
12.	रोकड़िया
	प्रशासन
13	महाप्रबंधक (प्रशासन)
14	उप महाप्रबंधक (प्रशासन)
15	प्रबंधक (प्रशासन)
16	सहायक प्रबंधक (प्रशासन)
	सचिवालय संवर्ग
17	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
18	प्रधान निजी सचिव
19	निजी सचिव
20	वैयक्तिक सहायक
21	आशुलिपिक
	हिन्दी प्रभाग
22	प्रबंधक (राजभाषा)
23	हिन्दी अधिकारी
24	हिन्दी अनुवादक
25	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
	पुस्तकालय
26	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी
27	पुस्तकालयाध्यक्ष
28	पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सूचना सहायक

IndiaCode

29	प्रशासनिक सहायक (पुस्तकालय)
	सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग
30	महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
31	उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
32	प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
33	उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)
	विधि
34	महाप्रबंधक (विधि)
35	उप महाप्रबंधक (विधि)
36	प्रबंधक (विधि)
37	सहायक प्रबंधक (विधि)
	पर्यावरण
38	महाप्रबंधक (पर्यावरण)
39	उप महाप्रबंधक (पर्यावरण)
40	प्रबंधक (पर्यावरण)
	पृथक (आइसोलेटिड) संवर्ग अधिकारीगण
41	महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिकी)
42	महाप्रबंधक (परिवहन योजनाकार)
43	महाप्रबंधक (परिवहन अर्थशास्त्री)
44	महाप्रबंधक (भूमि अर्जन एवं संपदा प्रबंधन)
45	उप महाप्रबंधक (मीडिया संपर्क)
46	उप प्रबंधक (सतर्कता)
	पृथक (आइसोलेटिड) संवर्ग कर्मचारीगण
47	केयर टेकर एवं स्टोर कीपर
48	संसदीय सहायक
49	प्रोटोकॉल सहायक
50	वरिष्ठ स्वागती
51	स्वागती
52	अभिलेखपाल
53	वरिष्ठ अभिलेखपाल
54	प्रशासनिक सहायक (स्टोर्स)
55	स्टाफ कार चालक
56	वरिष्ठ मल्टी टास्किंग स्टाफ
57	मल्टी टास्किंग स्टाफ

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (तकनीकी)	101 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), और श्रेणी वेतन 8700/रु.	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरी की उपाधि; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्च पद पर **14 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से राजमार्गों, सड़कों और पुलों से संबंधित अवसंरचना क्षेत्रों में कार्यान्वयन का **9 वर्ष** का अनुभव ।	(1) भाराराप्रा के उप महाप्रबंधक (तकनीकी) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति** द्वारा जिन्होंने उस पद पर **5 वर्ष की नियमित सेवा** की हो तथा स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–4 (37,400–67,000 रुपए) के वेतनमान और 8700/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर चार वर्ष की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जिन्होंने कार्यपालक अभियंता के रूप में **नौ वर्ष** की नियमित सेवा की हो ; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप महाप्रबंधक (तकनीकी)	193 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), और श्रेणी वेतन 7600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से सिविल इंजीनियरी की उपाधि; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्च पद पर **9 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से राजमार्गों, सड़कों और पुलों से संबंधित अवसंरचना क्षेत्रों में कार्यान्वयन का **6 वर्ष** का अनुभव ।	(1) भाराराप्रा के प्रबंधक (तकनीकी) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति** द्वारा जिन्होंने उस पद पर **5 वर्ष** की नियमित सेवा की हो तथा स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **4 वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **और** जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (तकनीकी)	365 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), और श्रेणी वेतन 6600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से सिविल इंजीनियरी की उपाधि; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्च पद पर **4 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **3 वर्ष** का अनुभव राजमार्गों, सड़कों और पुलों से संबंधित अवसंरचना क्षेत्रों में कार्यान्वयन का हो।	(1) भाराराप्रा के उप प्रबंधक (तकनीकी) में से **पदोन्नति** द्वारा जिन्होंने उस पद पर **4 वर्ष** की नियमित सेवा की हो । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और 5400/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; (iii) जो नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन में नियमित आधार पर **आठ वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप प्रबंधक (तकनीकी)	110 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15600–39100 रुपए), और श्रेणी वेतन 5400/रुपए	सीधी भर्ती (80%) प्रतिनियुक्ति (20%)

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें भर्ती की जानी है
6	7	8
सीधी भर्ती के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता :–** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से सिविल इंजीनियरी में उपाधि;	**(1) सीधी भर्ती द्वारा:–** (i) स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में से भर्ती एजेंसी, जिसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा, के माध्यम से की जाएगी । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षा, और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी । **अथवा** (ii) सिविल इंजीनियरी संकाय में वैध इंजीनियरी में स्नातक अभिरुचि परीक्षा (जीएटीइ) में प्राप्तांक के आधार पर ; **अथवा** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** जो नियमित आधार पर सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (वित्त)	05 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), और श्रेणी वेतन 8700/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

IndiaCode

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/लेखा में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से आइसीएआइ/आइसीडब्ल्यूएआइ/ एमबीए (वित्त) उपाधि ; अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के वित्त/लेखा से संबंधित किसी संगठित ग्रुप–क सेवा का सदस्य; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्च पद पर **14 वर्ष का अनुभव** जिसमें से **7 वर्ष का अनुभव** किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखाकरण/बजटिंग/ आंतरिक लेखा–परीक्षा/संविदा प्रबंधन/निधि प्रबंधन/ संवितरण का हो ।	(1) भाराराप्रा के उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) में से **चयन द्वारा पदोन्नति** से जिन्होंने उस पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–4 (37,400–67,000 रुपए) के वेतनमान और 8700/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **4 वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप महाप्रबंधक (वित्त)	17 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), और श्रेणी वेतन 7600/रुपए	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः—** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/लेखा में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से आइसीएआइ/आइसीडब्ल्यूएआइ/एमबीए (वित्त) उपाधि ; अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के वित्त/लेखा से संबंधित किसी संगठित ग्रुप—क सेवा का सदस्य; और (ii) वेतन बैंड—3 (15,600— 39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/—रुपए अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्च पद पर **9 वर्ष** का अनुभव जिसमें से **6 वर्ष** का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखाकरण/बजटिंग/आंतरिक लेखा—परीक्षा/संविदा प्रबंधन/निधि प्रबंधन/संवितरण का हो ।	(1) भाराराप्रा के प्रबंधक (वित्त और लेखा) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जिन्होंने उस पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध—सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :— (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड—3 (15,600—39,100 रुपए) के वेतनमान और 7600/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड—3 (15,600— 39,100 रुपए) और 6600/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	46 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह — क	वेतन बैंड—3 (15600—39100 रुपए), और श्रेणी वेतन 6600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/लेखा में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से आइसीएआइ/आइसीडब्ल्यूएआइ/एमबीए (वित्त) उपाधि ; अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के वित्त/लेखा से संबंधित किसी संगठित ग्रुप–क सेवा का सदस्य; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष स्तर के पद अथवा उच्च पद पर **4 वर्ष** का अनुभव और **4 वर्ष** का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संगठन में वित्तीय लेखाकरण /बजटिंग/आंतरिक लेखा– परीक्षा /संविदा प्रबंधन/निधि प्रबंधन/संवितरण का हो ।	(1) भाराराप्रा के लेखा अधिकारियों में से **पदोन्नति द्वारा** जिन्होंने उस पद पर **5 वर्ष** की नियमित सेवा की हो । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– ((i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और 5400/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **पाँच वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
लेखा अधिकारी	40 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15600–39100 रुपए), और श्रेणी वेतन 5400/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें भर्ती की जानी है
6	7	8
सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य/लेखा में उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से आइसीएआई/आइसीडब्ल्यूएआई/एमबीए (वित्त) उपाधि ; अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के वित/लेखा से संबंधित किसी संगठित ग्रुप—क सेवा का सदस्य; **अनिवार्य अनुभवः—** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध—सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों में वित्तीय लेखाकरण/बजटिंग/ आंतरिक लेखा—परीक्षा/संविदा प्रबंधन/ कोष प्रबंधन/ संवितरण में कम से कम **4 वर्ष का अनुभव** ।	(1) भाराराप्रा के कनिष्ठ लेखाधिकारियों में से **पदोन्नति द्वारा** जिन्होंने उस पद पर **चार वर्ष की नियमित सेवा** की हो तथा स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध—सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :— ((i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड—3 (15,600—39,100 रुपए) के वेतनमान और 5400/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड—2 (9300— 34,800 रुपए) और 4800/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (3) **सीधी भर्ती द्वारा** उस भर्ती एजेंसी के माध्यम से जिसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और उन अभ्यर्थियों में से जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

Mini Code

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए), और श्रेणी वेतन 4800/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में उपाधि ; अथवा आईसीएआई/आईसीडब्ल्यूए से इंटरमीडियट ; अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित एसएएस अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) ; **अनिवार्य अनुभवः–** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों में वित्तीय लेखाकरण/बजटिंग/ आंतरिक लेखा–परीक्षा/संविदा प्रबंधन/ निधि प्रबंधन/ संवितरण में कम से कम **4 वर्ष का अनुभव** ।	(1) वरिष्ठ लेखाकारों/रोकड़िया में से **पदोन्नति द्वारा** जिन्होंने उस पद पर **पाँच वर्ष की नियमित सेवा** की हो **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) के वेतनमान और 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और 4600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **दो वर्ष की सेवा** कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और 4200/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **पाँच वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
वरिष्ठ लेखाकार	80 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए), और श्रेणी वेतन 4200 / रुपए	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में उपाधि ; अथवा आइसीएआइ / आइसीडब्ल्यूए से इंटरमीडियट ; अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित एसएएस अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) ; **अनिवार्य अनुभवः–** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों में वित्तीय लेखाकरण / बजटिंग / आंतरिक लेखा–परीक्षा / संविदा प्रबंधन / निधि प्रबंधन / संवितरण में कम से कम **3 वर्ष का अनुभव** ।	(1) **लेखाकारों** में से **पदोन्नति** द्वारा जिन्होंने उस पद पर **चार वर्ष की नियमित सेवा** की हो। **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) के वेतनमान और 4200 / –रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग / विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–1 (5200– 20,200 रुपए) और 2800 / –रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष की सेवा** कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
लेखाकार	80 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ग	वेतन बैंड–1 (5200–20,200 रुपए), और श्रेणी वेतन 2800/रुपए	**सीधी भर्ती**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	सीधी भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
30 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में उपाधि ; अथवा आईसीएआई/आईसीडब्ल्यूए से इंटरमीडियट ; अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित एसएएस अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से एमबीए (वित्त) ;	**सीधी भर्ती द्वारा**:– कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों में से सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
रोकड़िया	01 (2016)	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए), और श्रेणी वेतन 4200/रुपए	**प्रतिनियुक्ति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि । **अनिवार्य अनुभव**:– भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों/ उपक्रमों के वित्त/लेखा विभाग में कम से कम **छह वर्ष का अनुभव** ।	(1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) के वेतनमान और 4200/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों;

IndiaCode

		अथवा (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–1 (5200– 20,200 रुपए) और 2800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (प्रशासन)	04 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), श्रेणी वेतन 8700/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यतां और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की उपाधि; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर वेतनमान में **14 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **पाँच वर्ष** का अनुभव प्रशासन/स्थापना/मानव संसाधन /कार्मिक प्रबंधन में हो।	(1) भाराराप्रा के उप महाप्रबंधक (प्रशासन) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जिन्होंने उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों। **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति** द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–4 (37,400–67,000 रुपए) के वेतनमान और 8700/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान

IndiaCode

		के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)	09 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (15,600–39,100 रुपए), श्रेणी वेतन 7600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की उपाधि; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए के वेतनमान अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर वेतनमान में **9 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **चार वर्ष** का अनुभव प्रशासन/स्थापना/मानव संसाधन/कार्मिक प्रबंधन में हो ।	(1) भाराराप्रा के प्रबंधक (प्रशासन) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जिन्होंने उस पद पर **पाँच वर्ष** की नियमित सेवा की हो तथा जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति** द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी

		वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (प्रशासन)	10 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), श्रेणी वेतन 6600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि; **प्रतिनियुक्ति के लिए अनिवार्य अनुभव** :– प्रशासन/स्थापना/मानव संसाधन/कार्मिक प्रबंधन में कम से कम **चार वर्ष का अनुभव** ।	(1) भाराराप्रा के उन सहायक प्रबंधकों (प्रशासन) में से **पदोन्नति** द्वारा जो उक्त पद पर **सात वर्ष** की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति** द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और 5400/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों;

		अथवा (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **छह वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
सहायक प्रबंधक (प्रशासन)	12 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए), श्रेणी वेतन 4800/रुपए*	चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 50% और प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के माध्यम से 50%

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं सीधी भर्ती के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता :–** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि; **प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अनुभव :–** प्रशासन/स्थापना/मानव संसाधन/कार्मिक प्रबंधन में कम से कम **तीन वर्ष का अनुभव** ।	(1) भाराराप्रा के उन अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा चयन के माध्यम से **पदोन्नति** द्वारा जो नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर कार्यरत हो अथवा वैयक्तिक सहायक जो उस पद पर **पाँच वर्ष की नियमित सेवा** कर चुके हों अथवा केयर टेकर एवं स्टोर कीपर जो उस पद पर **आठ वर्ष की नियमित सेवा** कर चुके हों अथवा स्वागती जो उस पद पर **बारह वर्ष की नियमित सेवा** कर चुके हों और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते हों। **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) के वेतनमान और 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों;

IndiaCode

		अथवा (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **तीन वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4200/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **पाँच वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

* चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर, वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/– रुपए ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	04 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह –क	वेतन बैंड–3 (15600–39100 रुपए), और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि;	(1) भाराराप्रा के प्रधान निजी सचिवों में से चयन के माध्यम से **पदोन्नति** द्वाराः जो उस पद पर **पांच वर्ष की नियमित सेवा** कर चुके हों और जो कालम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते हों। **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति** द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) **अथवा इसी वेतनमान**

		के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर **नियमित आधार पर चार वर्ष की सेवा** कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रधान निजी सचिव	28 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह –क	वेतन बैंड–3 (15600–39100 रुपए), और श्रेणी वेतन 6600/–रुपए	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि;	(1) भाराराप्रा के इन निजी सचिवों में से चयन के माध्यम से **पदोन्नति** द्वारा जो उस पद पर **सात वर्ष की नियमित सेवा** कर चुके हों और जो कालम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते हों। **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति** द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) **अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता** पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के

		समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पदों पर **छह वर्ष की नियमित सेवा** कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
निजी सचिव	56 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह —ख	वेतन बैंड—2 (9300—34800रुपए), और श्रेणी वेतन 4800/—रुपए #	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता :—** (i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 12वीं या समतुल्य; और (ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का श्रुतलेखन (डिक्टेशन) और अनुलेखन (ट्रांसक्रिप्शन)(केवल कम्प्यूटर पर) का समय अंग्रेजी के लिए 40 मिनट तथा हिन्दी के लिए 55 मिनट है।	**<u>पदोन्नति द्वारा</u>** (i) सीमित विभागीय परीक्षा — 90 % कोटा : भाराराप्रा के उन वैयक्तिक सहायकों में से जो उस पद पर **पाँच वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों और जिनकी आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो और कम्प्यूटर पर टाइप करने में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो। (ii) वरिष्ठता — 10 % कोटा : भाराराप्रा के उन वैयक्तिक सहायकों में से जो उस पद पर **आठ वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध—सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :— (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड—2 (9300—34,800 रुपए) और 4800/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य **औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति** में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड—2 (9300—34,800 रुपए) और 4600/—रुपए के

IndiaCode

		श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

#चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
वैयक्तिक सहायक	170 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह ख	वेतन बैंड–2 (9300–34800रुपए), और श्रेणी वेतन **4600**/–रुपए	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता :–** (i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 12वीं या समतुल्य; और (ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का श्रुतलेखन (डिक्टेशन) ओर अनुलेखन (ट्रांसक्रिप्शन)(केवल कम्प्यूटर पर) का समय अंग्रेजी के लिए 40 मिनट तथा हिन्दी के लिए 55 मिनट है।	**<u>पदोन्नति द्वारा</u>** (i) सीमित विभागीय परीक्षा – 90 % कोटा : भाराराप्रा के उन आशुलिपिकों में से जो उस पद पर **पाँच वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों और जिनकी आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति हो और कम्प्यूटर पर टाइप करने में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो। (ii) वरिष्ठता – 10 % कोटा : भाराराप्रा के उन आशुलिपिकों में से जो उस पद पर **आठ वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति** द्वारा :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के **समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति** में सदृश पद पर कार्यरत हों;

		अथवा (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–1 (5200–20,200 रुपए) और 2400/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के **समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति** के पदों पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	82 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह ग	वेतन बैंड–1 (5200–20,200 रुपए), और श्रेणी वेतन 2400/–रुपए	सीधी भर्ती

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
28 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड /संस्थान से 12वीं या समतुल्य; और (ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का श्रुतलेखन (डिक्टेशन) और अनुलेखन (ट्रांसक्रिपशन) (केवल कम्प्यूटर पर) का समय अंग्रेजी के लिए 50 मिनट तथा हिन्दी के लिए 65 मिनट है।	**सीधी भर्ती द्वारा** भर्ती एजेंसी, जिसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा, के माध्यम से उन अभ्यर्थियों में से जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से प्रवेश परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (राजभाषा)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह –क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), और श्रेणी वेतन 6600/–रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

IndiaCode

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिंदी माध्यम से अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **वांछनीय** : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान : (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में उपाधि अथवा डिप्लोमा । **अनिवार्य अनुभव** : हिन्दी में शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली) का प्रयोग करने/कार्य करने का और अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, विशेषकर तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद कार्य का आठ वर्ष का अनुभव	(1) भाराराप्रा में हिंदी अधिकारियो में से **पदोन्नति द्वारा** जो उक्त पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों । **या** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और 5400/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **सात वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
हिंदी अधिकारी	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह –क	वेतन बैंड–3 (15600–39100 रुपए), और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर हिंदी माध्यम से अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **या** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; **वांछनीय** : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान : (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में उपाधि अथवा डिप्लोमा । **अनिवार्य अनुभव** : हिन्दी में शब्दावली (पारिभाषिक शब्दावली) का प्रयोग करने/कार्य करने का और अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, विशेषकर तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य अनुवाद का कार्य का आठ वर्ष का अनुभव	(1) भाराराप्रा में हिंदी अनुवादकों में से **पदोन्नति द्वारा** जो उक्त पद पर **चार वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों । **या** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 5400/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **तीन वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **पाँच वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
हिंदी अनुवादक	03 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह –ख	वेतन बैंड–2 (9300–34800 रुपए), और श्रेणी वेतन 4800/–रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
सीधी भर्ती: 30 वर्ष से अधिक नहीं प्रतिनियुक्ति: 56 वर्ष से अधिक नहीं संविदा : 40 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता :–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में या परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रुप में हिंदी या अंग्रेजी और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में हिंदी और अंग्रेजी या परीक्षा के माध्यम के रुप में उन दोनों में से कोई एक विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; और (ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं, में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय शैक्षिक योग्यता :**	(1) भाराराप्रा में उन कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों में से पदोन्नति द्वारा जो उक्त पद पर **छह वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों । **या** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) के वेतनमान और 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **दो वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4200/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **छह वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (3) उन अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी । **अथवा** (4) उन अभ्यर्थियों में से संविदा (संगठन की आवश्यकता अनुसार) भर्ती द्वारा जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते हों । यह भर्ती चयन समिति के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी । चयन की इस विधि में कोई

	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान : या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में उपाधि अथवा डिप्लोमा ।	आमेलन/नियमितीकरण नहीं किया जाएगा । संविदा की प्रारंभिक अवधि तीन वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	03 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह —ख	वेतन बैंड—2 (9300—34800 रुपए), और श्रेणी वेतन 4200/—रुपए	प्रतिनियुक्ति/ सीधी भर्ती/संविदा

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
सीधी भर्ती 30 वर्ष से अधिक नहीं प्रतिनियुक्तिः 56 वर्ष से अधिक नहीं संविदा : 40 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में या परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रुप में हिंदी या अंग्रेजी और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ, हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में हिंदी और अंग्रेजी या परीक्षा के माध्यम के रुप में उन दोनों में से कोई एक विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समतुल्य; और (ii) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या केंद्रीय	(1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध—सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :— (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड—2 (9300—34,800 रुपए) के वेतनमान और 4200/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड—1 (5200—20,200 रुपए) और 2800/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **पॉच वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड—1 (5200—20,200 रुपए) और 2400/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **आठ वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों ।

IndiaCode

	सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल हैं में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव । **वांछनीय शैक्षिक योग्यता :** (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान : (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में उपाधि अथवा डिप्लोमा ।	**अथवा** (3) उन अभ्यर्थियों में से **सीधी भर्ती द्वारा** जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी । **अथवा** (4) उन अभ्यर्थियों में से **संविदा** (संगठन की आवश्यकता अनुसार) भर्ती द्वारा जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते हों । यह भर्ती चयन समिति के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी । चयन की इस विधि में कोई आमेलन/नियमितीकरण नहीं किया जाएगा । संविदा की प्रारंभिक अवधि तीन वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना अधिकारी	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15600–39100 रुपए), और श्रेणी वेतन 6600/–रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; **अनिवार्य अनुभव :** केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के पुस्तकालय में पाँच वर्ष का अनुभव :	(1) पुस्तकालयाध्यक्ष में से **पदोन्नति द्वारा** जो 4600/–रुपए और उससे ऊपर के श्रेणी वेतन में आठ वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों । अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) के वेतनमान और 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा**

		(ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **आठ वर्ष की सेवा** कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
पुस्तकालयाध्यक्ष	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34800 रुपए), और श्रेणी वेतन 4600/–रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

IndiaCode

आयु–सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; **अनिवार्य अनुभव** : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के पुस्तकालय में चार वर्ष का अनुभव।	(1) पुस्तकालय और सूचना सहायक में से पदोन्नति द्वारा जो उस पद पर पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों । अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) के वेतनमान और 4600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और 4200/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर चार वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

		जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
पुस्तकालय और सूचना सहायक	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34800 रुपए), और श्रेणी वेतन 4200/–रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु–सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि; **अनिवार्य अनुभव** : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव :	(1) प्रशासनिक सहायक (पुस्तकालय) में से **पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर वेतन बैंड–1 के वेतनमान (5200–20,200 रुपए) और श्रेणी वेतन 1900/– रुपए में दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य अर्हता और अनुभव हो । अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) के वेतनमान और 4200/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–1 (5200–20,200 रुपए) और 2800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों ।

IndiaCode

		<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u> प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रशासनिक सहायक (पुस्तकालय)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ग	वेतन बैंड–1 (5200–20200 रुपए), और श्रेणी वेतन 1900/–रुपए	पदोन्नति/सीधी भर्ती

आयु–सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
सीधी भर्ती के लिए 28 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यताः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि;	(1) चपरासी/जमादार के पद पर कम से कम पाँच वर्ष से नियमित आधार पर कार्यरत कर्मचारियों में से **पदोन्नति द्वारा** जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों। अथवा (2) कॉलम 7 में निधारित शैक्षिक योग्यता रखने वालों उम्मीदवारों में से **सीधी भर्ती द्वारा**।

टिप्पणी : प्रशासनिक सहायक (पुस्तकालय) की पदोन्नति/अधिवर्षिता/त्यागपत्र अथवा अन्यथा पद रिक्त होने के पश्चात इस पद को समाप्त कर दिया जाएगा और इस पद पर आगे कोई भर्ती नहीं की जाएगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	03 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	**वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), और श्रेणी वेतन 8700/रुपए**	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव		पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	7 (क)	8
प्रतिनियुक्ति और संविदा के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**शैक्षिक योग्यता**	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग/ साफ्टवेयर/ सिस्टम डिजाइन/सिस्टम इंटीग्रेशन से संबंधित किसी सूचना प्रोद्योगिकी प्रोजेक्ट पर न्यूनतम आवश्यक अनुभव	(1) भाराप्रा के आंतरिक अभ्यर्थियों में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव के अलावा वेतन बैंड–3 वेतनमान (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर वेतनमान में **14 वर्ष का अनुभव** हो जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव उप महाप्रबंधक ग्रेड में हो । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभाग / स्वायत्तशासी निकायों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उन अभ्यर्थियों में से जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख पदों पर हों, नियत योग्यता प्राप्त हों, जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव के अलावा वेतन बैंड–3 वेतनमान (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/– रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर वेतनमान में **14 वर्ष का अनुभव** हो और जिसमें से अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतनबैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए अथवा औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में समतुल्य वेतनमान में चार वर्ष का अनुभव हो ; **अथवा** (3) **संविदा आधार पर** (संगठन को आवश्यकता होने पर) खुले विज्ञापन के माध्यम से उन अभ्यर्थियों में से जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव के अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एमआईएस संबंधित कार्य का 12 वर्ष का अनुभव हो । इन पदों पर चयन सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों के अभ्यर्थियों में से ऐसी लचीली चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात लिया जाएगा । इस प्रकार की चयन विधि में कोई आमेलन/नियमितिकरण नहीं होगा । चयन होने पर संविदा अवधि प्रारंभ में 3 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से 2 और वर्षों के लिए
	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर साइंस/ सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/ बीटैक अथवा विशिष्ट समकक्ष योग्यता /डीओईएसीसी से सी लेवल सर्टिफिकेट कोर्स	शून्य	
	अथवा (ii) इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी (किसी भी विषय में) /विज्ञान में स्नातक उपाधि और एमबीए (इंफॉरमेशन सिस्टम / सूचना प्रौद्योगिकी)/ कंप्यूटर एपलीकेशन /एडवांस कंप्यूटिंग /मोबाईल कंप्यूटिंग /आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और सुरक्षा /साईबर सुरक्षा /एम्बेडेड सिस्टम और डिजाइन / सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट / बिग डेटा एनालिटिक्स /आटोमेशन एससीएडीए (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वीजीशन) सिस्टम / मल्टीमीडिया अथवा अन्य संबंधित क्षेत्र आदि में एडवांस अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
	अथवा (iii) कंप्यूटर साइंस /सूचना प्रौद्योगिकी /मल्टीमीडिया आदि में एम.एससी. उपाधि	एक वर्ष	
	अथवा (iv) एमसीए/ गणित विषय के साथ बी.एससी. और डीओईएसीसी से बी लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स	दो वर्ष	
	अथवा (v) बी.एससी. (कंप्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / मल्टीमीडिया) /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठित संस्थान से बीसीए अथवा समकक्ष/डीओईएसीसी से ए लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स	तीन वर्ष	

IndiaCode

			बढ़ाया जा सकेगा । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	04 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), और श्रेणी वेतन 7600/रुपए	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव		पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	7 (क)	8
प्रतिनियुक्ति और संविदा के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**शैक्षिक योग्यता**	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग/ साफ्टवेयर/ सिस्टम डिजाइन/सिस्टम इंटीग्रेशन से संबंधित किसी सूचना प्रोद्योगिकी प्रोजेक्ट पर न्यूनतम आवश्यक अनुभव	(1) भाराराप्रा के आंतरिक अभ्यर्थियों में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव के अलावा वेतन बैंड–3 वेतनमान (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर वेतनमान में **9 वर्ष का अनुभव** हो जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव उप महाप्रबंधक ग्रेड में हो । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभाग / स्वायत्तशासी निकायों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उन अभ्यर्थियों में से जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख पदों पर हों, नियत योग्यता प्राप्त हों, जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव के अलावा वेतन बैंड–3 वेतनमान (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/– रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर वेतनमान में **9 वर्ष का अनुभव** हो और जिसमें से अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् वेतनबैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 6600/–रुपए अथवा औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में समतुल्य वेतनमान में पाँच
	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर साइंस/ सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/ बीटैक अथवा विशिष्ट समकक्ष योग्यता /डीओईएसीसी से सी लेवल सर्टिफिकेट कोर्स		
	अथवा (ii) इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी (किसी भी विषय में) /विज्ञान में स्नातक उपाधि और एमबीए (इंफॉरमेशन सिस्टम / सूचना प्रौद्योगिकी)/ कंप्यूटर एपलीकेशन /एडवांस कंप्यूटिंग /मोबाईल कंप्यूटिंग /आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और सुरक्षा /साईबर सुरक्षा /एम्बेडेड सिस्टम और डिजाइन / सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट / बिग डेटा एनालिटिक्स /आटोमेशन एससीएडीए		

IndiaCode

	(सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वीजीशन) सिस्टम / मल्टीमीडिया अथवा अन्य संबंधित क्षेत्र आदि में एडवांस अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा		वर्ष का अनुभव हो ; **अथवा** (3) **संविदा आधार पर** (संगठन को आवश्यकता होने पर) खुले विज्ञापन के माध्यम से उन अभ्यर्थियों में से जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव के अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एमआईएस संबंधित कार्य का 9 वर्ष का अनुभव हो । इन पदों पर चयन सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों के अभ्यर्थियों में से ऐसी लचीली चयन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात लिया जाएगा । इस प्रकार की चयन विधि में कोई आमेलन/नियमितिकरण नहीं होगा । चयन होने पर संविदा अवधि प्रारंभ में 3 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।
	अथवा (iii) कंप्यूटर साइंस /सूचना प्रौद्योगिकी /मल्टीमीडिया आदि में एम.एससी. उपाधि	एक वर्ष	
	अथवा (iv) एमसीए/ गणित विषय के साथ बी. एससी. और डीओईएसीसी से बी लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स	दो वर्ष	
	अथवा (v) बी.एससी. (कंप्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / मल्टीमीडिया) /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठित संस्थान से बीसीए अथवा समकक्ष/डीओईएसीसी से ए लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स	तीन वर्ष	

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	04 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	**वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), और श्रेणी वेतन 6600/रुपए**	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव		पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	7 (क)	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं **और** संविदा के लिए 48 वर्ष से अधिक नहीं	**शैक्षिक योग्यता:–**	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग/ साफ्टवेयर/ सिस्टम डिजाइन/सिस्टम इंटीग्रेशन से संबंधित किसी सूचना प्रोद्योगिकी प्रोजेक्ट पर न्यूनतम आवश्यक अनुभव	(1) आंतरिक अभ्यर्थियों में से **पदोन्नति द्वारा** जिन्होनें **उप प्रबंधक श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा** की हो और जो कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार/राज्य

IndiaCode

	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर साइंस/ सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/ बीटैक अथवा विशिष्ट समकक्ष योग्यता /डीओईएसीसी से सी लेवल सर्टिफिकेट कोर्स		सरकार के विभाग / स्वायत्तशासी निकायों / सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उन अभ्यर्थियों में से जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख पदों पर हों, नियत योग्यता प्राप्त हों, जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव के अलावा मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 वेतनमान (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/– रुपए अथवा औधोगिक मंहगाई भत्ता पद्वति में समतुल्य वेतनमान में **4 वर्ष** का अनुभव हो ।
	अथवा (ii) इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी (किसी भी विषय में) /विज्ञान में स्नातक उपाधि और एमबीए (इंफॉरमेशन सिस्टम / सूचना प्रौद्योगिकी)/ कंप्यूटर एपलीकेशन /एडवांस कंप्यूटिंग /मोबाईल कंप्यूटिंग /आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और सुरक्षा /साईबर सुरक्षा /एम्बेडेड सिस्टम और डिजाइन / सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट / बिग डेटा एनालिटिक्स /आटोमेशन एससीएडीए (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वीजीशन) सिस्टम / मल्टीमीडिया अथवा अन्य संबंधित क्षेत्र आदि में एडवांस अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा		**अथवा** (3) **संविदा आधार पर** (संगठन को आवश्यकता होने पर) खुले विज्ञापन के माध्यम से उन अभ्यर्थियों में से जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव के अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एमआईएस संबंधित कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो । इन पदों पर चयन सूचना प्रौद्योगिकी संगठनों के अभ्यर्थियों में से ऐसी लचीली चयन प्रकिया द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात लिया जाएगा । चयन होने पर संविदा अवधि प्रारंभ में 3 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्रतिभावान अधिकारियों के आमेलन/नियमितिकरण पर चयन समिति की अनुशंसा और अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के अनुसार विचार कियाजा सकता है। **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।
	अथवा (iii) कंप्यूटर साइंस /सूचना प्रौद्योगिकी /मल्टीमीडिया आदि में एम.एससी. उपाधि	एक वर्ष	
	अथवा (iv) एमसीए/ गणित विषय के साथ बी.एससी. और डीओईएसीसी से बी लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स	दो वर्ष	
	अथवा (v) बी.एससी. (कंप्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / मल्टीमीडिया) /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठित संस्थान से बीसीए अथवा समकक्ष/ डीओईएसीसी से ए लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स	तीन वर्ष	

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	22 (बाईस) 4 पद मुख्यालय के लिए और 18 पद क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए (कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय)	**समूह – क**	**वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), और श्रेणी वेतन 5400/ रुपए**	सीधी भर्ती द्वारा (70%) तथा संविदा द्वारा (30%) (सीधी भर्ती में पद रिक्त रहने पर संविदा का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है)

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव		पदोन्नति/संविदा द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	7 (क)	8
सीधी भर्ती के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं और संविदा के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं	**शैक्षिक योग्यता:–**	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग/ साफ्टवेयर/ सिस्टम डिजाइन/सिस्टम इंटीग्रेशन से संबंधित किसी सूचना प्रोद्योगिकी प्रोजेक्ट पर न्यूनतम आवश्यक अनुभव	(1) कालम 7 और 7 (क) में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों में से सीधी भर्ती द्वारा अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभाग/श्वायतशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी अथवा सार्वजनिक वाणिज्यिक सूचना प्रौद्योगिकी संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों में से। (ii) सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी । **अथवा** (ii) कंप्यूटर साइंस विषय में वैध स्नातक अभियांत्रिकी अभिरुचि परीक्षा (जीएटीई) में प्राप्तांक के आधार पर **अथवा** (2) **संविदा आधार पर** (संगठन को आवश्यकता होने पर) खुले विज्ञापन के माध्यम से उन अभ्यर्थियों में से जिन्हें कॉलम 7 और 7(क) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो । इन पदों पर चयन ऐसी लचीली चयन प्रकिया द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के पश्चात लिया जाएगा । प्रतिभावान अधिकारियों के आमेलन/नियमितिकरण पर चयन समिति
	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठित संस्थान से कंप्यूटर साइंस/ सूचना प्रौद्योगिकी में बीई/ बीटैक अथवा विशिष्ट समकक्ष योग्यता /डीओईएसीसी से सी लेवल सर्टिफिकेट कोर्स		
	अथवा (ii) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी (किसी भी विषय में) /विज्ञान में स्नातक उपाधि और एमबीए (इंफॉरमेशन सिस्टम / सूचना प्रौद्योगिकी)/ कंप्यूटर एपलीकेशन /एडवांस कंप्यूटिंग /मोबाईल कंप्यूटिंग /आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और सुरक्षा /साईबर सुरक्षा /एम्बेडेड सिस्टम और डिजाइन / सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट / बिग डेटा एनालिटिक्स /आटोमेशन एससीएडीए (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वीजीशन) सिस्टम / मल्टीमीडिया अथवा अन्य संबंधित क्षेत्र आदि में उन्नत अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा		
	अथवा (iii) कंप्यूटर साइंस /सूचना प्रौद्योगिकी /मल्टीमीडिया आदि में एम.एससी. उपाधि	एक वर्ष	

Indiacode

	अथवा (iv) एमसीए/ गणित विषय के साथ बी.एससी. और डीओईएसीसी से बी लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स	दो वर्ष	की अनुशंसा और अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के अनुसार विचार किया जा सकता है । **संविदा अवधि** चयन होने पर संविदा अवधि प्रारंभ में 3 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
	अथवा (v) बी.एससी. (कंप्यूटर साइंस /सूचना प्रौद्योगिकी/मल्टीमीडिया)/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ प्रतिष्ठित संस्थान से बीसीए अथवा समकक्ष/ डीओईएसीसी से ए लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स	तीन वर्ष	

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (विधि)	02 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), श्रेणी वेतन 8700/रुपए	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक ; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर वेतनमान में **14 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से संविदा मामले/माध्यस्थम/विधायी मामलों /भूमि अर्जन में **7 वर्ष** का अनुभव हो।	(1) भाराप्रा के उप महाप्रबंधक (विधि) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर **पाँच वर्ष** की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–4 (37,400–67,000 रुपए) और 8700/–रुपए के श्रेणी वेतन के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव

IndiaCode

		रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप महाप्रबंधक (विधि)	02 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), श्रेणी वेतन 7600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक ; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर वेतनमान में 9 **वर्ष का अनुभव,** जिसमें से संविदा मामलों/माध्यस्थम/विधायी मामलों /भूमि अर्जन में **6 वर्ष** का अनुभव हो।	(1) भाराराप्रा के उन प्रबंधक (विधि) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर **पाँच वर्ष** की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों और जिनके पास स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य योग्यता और अनुभव हो । अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 6600/–रुपए के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों ।

		<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u> प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (विधि)	05 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), श्रेणी वेतन 6600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक ; और (ii) संविदा मामलों/माध्यस्थम/विधायी मामलों /भूमि अर्जन के क्षेत्र में **5 वर्ष का अनुभव** ।	(1) भाराप्रा के सहायक प्रबंधकों (विधि) में से **पदोन्नति द्वारा** जो उक्त पद पर **7 वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 6600/–रुपए के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4800/–रुपए के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता

IndiaCode

		पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **सात वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
सहायक प्रबंधक (विधि)	19 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड– (9300–34,800 रुपए), श्रेणी वेतन 4800/रुपए	सीधी भर्ती (70%) / प्रतिनियुक्ति (30%) (सीधी भर्ती में पद रिक्त रहने पर प्रतिनियुक्ति का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है)

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं सीधी भर्ती के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक ; और (ii) संविदा मामले/माध्यस्थम/ विधायी मामले /भूमि अर्जन के क्षेत्र में **2 वर्ष** का अनुभव ।	(1) **सीधी भर्तीः** जो अभ्यर्थी कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4800/–रुपए के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4600/–रुपए के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **तीन वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा**

IndiaCode

		(iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4200/–रुपए के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **पाँच वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों। **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (पर्यावरण)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए) और श्रेणी वेतन 8700/रुपए	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, पादप विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान में से कम से कम किसी एक विषय के साथ उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान, वानिकी अथवा अभियांत्रिकी में उपाधि ; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर **14 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **7 वर्ष**	(1) भाराराप्रा के उप महाप्रबंधक (पर्यावरण) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर **5 वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों तथा जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–4 (37,400– 67,000 रुपए) और श्रेणी वेतन 8700/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन

IndiaCode

	का अनुभव पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण अभियांत्रिकी/ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया/बड़ी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने/पर्यावरण प्रबंधन योजना के कियान्वयन और अनुवीक्षण के क्षेत्र में होना चाहिए ।	बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप महाप्रबंधक (पर्यावरण)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, पादप विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान में से कम से कम किसी एक विषय के साथ उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान, वानिकी अथवा अभियांत्रिकी में उपाधि ; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर **9 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **6 वर्ष** का अनुभव पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण	(1) भाराराप्रा के प्रबंधक (पर्यावरण) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर **5 वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों तथा जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन

	अभियांत्रिकी/ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रकिया/बड़ी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने/पर्यावरण प्रबंधन योजना के कियान्वयन और अनुवीक्षण के क्षेत्र में होना चाहिए ।	6600/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (पर्यावरण)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए), श्रेणी वेतन 6600/रुपए	प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः—** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, पादप विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी और प्राणी विज्ञान में से कम से कम किसी एक विषय के साथ उपाधि अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान, वानिकी अथवा अभियांत्रिकी में उपाधि ; और (ii) पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण अभियांत्रिकी/ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया/बड़ी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने/पर्यावरण प्रबंधन योजना के	केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :— (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 6600/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4800/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **सात वर्ष** की सेवा कर चुके हों;

	क्रियान्वयन और अनुवीक्षण के क्षेत्र में **5 वर्ष** का अनुभव ।	और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (इलेक्ट्रोनिकी)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), और श्रेणी वेतन 8700/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनीकेशंस इंजीनियरिंग में उपाधि ; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर **14 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **7 वर्ष** का अनुभव केन्द्रीय/राज्य सरकार विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्तशासी निकाय में इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशंस/सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य/परियोजना पर कार्य करने का हो ।	(1) भाराप्रा के उप महाप्रबंधक (इलेक्ट्रानिकी) में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों तथा जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–4 (37,400– 67,000 रुपए) और श्रेणी वेतन 8700/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष

IndiaCode

		के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (परिवहन योजनाकार)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), श्रेणी वेतन 87,000/रुपए	प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि ; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से परिवहन योजना (ट्रांसपोर्ट प्लानिंग) में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा ; और (iii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर **14 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **7 वर्ष** का अनुभव परिवहन परियोजनाओं, विशेषतः सड़क परियोजनाओं के मूल्यांकन के क्षेत्र में हो ।	(1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–4 (37,400– 67,000 रुपए) और श्रेणी वेतन 8700/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो

Indiacode

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (परिवहन अर्थशास्त्री)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), और श्रेणी वेतन 8700/रुपए	प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि ; और (ii) वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर **14 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **7 वर्ष** का अनुभव परियोजनाओं, विशेषतः परिवहन/सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं, के आर्थिक विश्लेषण /वित्तीय मूल्यांकन के क्षेत्र में हो ।	(1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–4 (37,400– 67,000 रुपए) और श्रेणी वेतन 8700/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
महाप्रबंधक (भूमि अर्जन एवं संपदा प्रबंधन)	02 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–4 (37400–67000 रुपए), और श्रेणी वेतन 8700/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः—** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि ; और (ii) वेतन बैंड—3 (15,600—39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/—रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर **14 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **पाँच वर्ष** का अनुभव भूमि अर्जन मामले संभालने में हो ।	(1) भाराराप्रा के उप महाप्रबंधकों में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर **5 वर्ष की नियमित सेवा** कर चुके हों तथा जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध—सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :— (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड—4 (37,400— 67,000 रुपए) और श्रेणी वेतन 8700/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड—3 (15,600— 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/—रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप महाप्रबंधक (मीडिया सम्पर्क)	01 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह — क	वेतन बैंड—3 (15,600—39,100 रुपए), और श्रेणी वेतन 7600/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभवः–** **क** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि ; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशंस/लोक सम्पर्क में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा अथवा समकक्ष **अथवा** **ख** भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) का अधिकारी हो । **आवश्यक अनुभवः** वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) का वेतनमान और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए अथवा समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर **9 वर्ष का अनुभव,** जिसमें से **पाँच वर्ष** का अनुभव विज्ञापन/प्रचार/लोक सम्पर्क /मीडिया सम्पर्क / पत्रकारिता में हो ।	(1) भाराराप्रा के प्रबंधकों अथवा समकक्ष में से **चयन के माध्यम से पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर **पाँच वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 7600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–3 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 6600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप प्रबंधक (सतर्कता)	04 (2016) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – क	वेतन बैंड–3 (15,600–39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/रुपए	**प्रतिनियुक्ति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि ; और **आवश्यक अनुभवः** किसी शासकीय विभाग में अनुशासनात्मक और सतर्कता मामलों का **3 वर्ष** का अनुभव ।	केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (15,600– 39,100 रुपए) और श्रेणी वेतन 5400/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4800/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **तीन वर्ष** की सेवा कर चुके हों; **अथवा** (iii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–2(9300– 34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4600/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **छह वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
केयर टेकर और स्टोरकीपर	01 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) अैर श्रेणी वेतन 4200/रुपए	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता** :– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि. और **आवश्यक अनुभवः–** कंप्यूटर के ज्ञान सहित स्टोरकीपिंग और रिकार्ड के रख–रखाव का कम से कम **पाँच वर्ष** का अनुभव।	(1) भाराराप्रा के अभ्यर्थियों में से **पदोन्नति द्वारा** जो प्रशासनिक सहायक (स्टोर्स) के पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और 4200/–रुपए के श्रेणी वेतन के वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–1 (5200– 20,200 रुपए) और 2400/–रुपए के श्रेणी वेतन में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **चार वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
संसदीय सहायक	01 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4200/रुपए	प्रतिनियुक्ति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें भर्ती की जानी है
6	7	8
प्रतिनियुक्ति के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि. और **आवश्यक अनुभवः—** संसद प्रश्नों, संसदीय समितियों से संबंधित संसद मामलों में सम्पर्क कार्य और पास आदि की व्यवस्था करने का कम से कम **तीन वर्ष** का अनुभव।	(1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध—सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :— (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड—2 (9300— 34,800 रुपए) के वेतनमान और 4200/—रुपए के श्रेणी वेतन में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड—1 (5200— 20,200 रुपए) और 2400/—रुपए के श्रेणी वेतन में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर **आठ वर्ष** की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	सीडीए पद्धति में वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका	आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
प्रोटोकॉल सहायक	01 (2016)	समूह — ख	वेतन बैंड—2 (9300—34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4200/रूपए	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा	प्रतिनियुक्ति/संविदा के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं और सीधी भर्ती के लिए 30 वर्ष से अधिक नहीं

IndiaCode

आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
7	8
अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि अथवा समकक्ष और **आवश्यक अनुभवः–** प्रोटोकॉल कार्यों, विशेषकर वरिष्ठ अधिकारियों/भारत सरकार के मंत्री के साथ, का कम से कम **तीन वर्ष** का अनुभव।	(1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अर्द्ध–सरकारी या सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों तथा अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से **प्रतिनियुक्ति द्वारा** :– (i) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर वेतन बैंड–2 (9300– 34,800 रुपए) और 4200/–रुपए के श्रेणी वेतन (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति में सदृश पद पर कार्यरत हों; **अथवा** (ii) जो अपने मूल संवर्ग/विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन बैंड–1 (5200–20,200 रुपए) के वेतनमान और 2400/–रुपए के श्रेणी वेतनमान में (केन्द्रीय मंहगाई भत्ता पद्धति में) अथवा इसी वेतनमान के समतुल्य औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के पदों पर नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों; और जो स्तम्भ 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **अथवा** (2) सीधी भर्ती द्वारा उन अभ्यर्थियों में से जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी । (3) खुले विज्ञापन के माध्यम से उन अभ्यर्थियों में से **संविदा** (संगठन की आवश्यकता अनुसार) भर्ती द्वारा जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u>** प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि 03 वर्ष की होगी जिसे अध्यक्ष के अनुमोदन से 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है । 05 वर्ष के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में 02 और वर्ष की बढ़ोतरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक हो ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
वरिष्ठ स्वागती	01 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ख	वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4200/रुपए	**पदोन्नति**

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
लागू नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि.	भाराराप्रा के स्वागती में से पदोन्नति द्वारा जो उस पद पर **आठ वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों और जो कालम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हों ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
स्वागती	02 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ग	वेतन बैंड–1 (5200–20,200 रुपए) और श्रेणी वेतन 2400/रुपए	सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	सीधी भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
30 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि. **अनिवार्य अनुभवः**– टेलीफोन कॉल संभालने और आने–जाने वाले पत्रों/फाइलों को डाक रजिस्टर में दर्ज करने का **दो वर्षों** का अनुभव । कम्प्यूटर (एमएस वर्ड/एक्सल) पर कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए ।	**सीधी भर्ती द्वारा** उस भर्ती एजेंसी के माध्यम से जिसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और उन अभ्यर्थियों में से जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
वरिष्ठ अभिलेखपाल	01 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह –ख	वेतन बैंड–2 (9300–34,800 रुपए) और श्रेणी वेतन 4200/रुपए	पदोन्नति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
लागू नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से उपाधि।	भाराराप्रा के अभिलेखपाल में से **पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर **आठ वर्ष** की नियमित सेवा कर चुके हों और जो कालम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हों ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
अभिलेखपाल	01 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह – ग	वेतन बैंड–1 (5200–20,200 रुपए) और श्रेणी वेतन 2400/रुपए	सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	सीधी भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
30 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता** :– किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/संस्थान से वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा । **अनिवार्य अनुभवः–** किसी सरकारी विभाग में कार्यालय रिकार्ड के रख–रखाव/भंडारण का कम से कम दो वर्ष का अनुभव और कम्प्यूटर का ज्ञान ।	**सीधी भर्ती द्वारा** उस भर्ती एजेंसी के माध्यम से जिसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और उन अभ्यर्थियों में से जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

टिप्पणीः कार्यरत कर्मचारी की पदोन्नति/अधिवर्षिता/त्यागपत्र अथवा अन्यथा पर अभिलेखपाल के पद के खाली हो जाने के बाद इस पद को समाप्त कर दिया जाएगा और इस पद पर आगे कोई भर्ती नहीं की जाएगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतनबैड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रशासनिक सहायक (स्टोर्स)	01 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह–ग	वेतन बैंड–। (5200–20,200 रु.) और श्रेणी वेतन 1900/– रुपए	पदोन्नति /सीधी भर्ती

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
सीधी भर्ती के लिए 30 वर्ष से अधिक नही	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हताः–** किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) अथवा समकक्ष **अनिवार्य अनुभवः–** स्टोर कीपिंग और रिकार्ड के रख–रखाव का कम से 2 वर्ष का अनुभव।	(1)मल्टी टास्किंग स्टाफ में से **पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर **पाँच वर्ष की नियमित सेवा** कर चुके हों और जो कालम 7 में निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों। (2) **सीधी भर्ती द्वारा** उस भर्ती एजेंसी के माध्यम से, जिसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, और उन अभ्यर्थियों में से जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतनबैडऔर श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
स्टाफ कार चालक	03 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह–ग	वेतन बैंड–। (5200– 20,200 रु.) और श्रेणी वेतन 1900/– रुपए	सीधी भर्ती /संविदा

IndiaCode

आयु सीमा केवल सीधी भर्ती/संविदा के संबंध में	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	सीधी भर्ती/संविदा के मामले में ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
28 वर्ष से अधिक नहीं	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यताः—** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक परीक्षा अथवा समकक्ष **अनिवार्य अनुभवः—** हल्के मोटर वाहनों को चलाने में दक्षता प्राप्त हो और कम से कम पिछले दो वर्ष से हल्के मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस रखते हों।	**सीधी भती/संविदा द्वारा** उस भर्ती एजेंसी के माध्यम से जिसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और उन अभ्यर्थियों में से जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हों । सीधी भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी जिसमें भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण मानदण्ड लागू होगें और इसमें परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

पद कानाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
वरिष्ठ मल्टी टास्किंग स्टाफ	01 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह—ग	वेतन बैंड—। (5200—20,200 रु.) श्रेणी वेतन 1900/— रुपए	पदोन्नति

आयु सीमा	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में पे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
लागू नही	**लागू नहीं**	(1) भाराराप्रा के उन मल्टी टास्किंग स्टाफ में से **पदोन्नति द्वारा** जो उस पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
मल्टी टास्किंग स्टाफ	04 (2016), कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	समूह—ग	वेतन बैंड—। (5200—20,200 रु.) श्रेणी वेतन 1800/— रुपए	सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव	सीधी भर्ती के मामले में पे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
18 और 25 वर्ष के बीच	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यताः—** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक परीक्षा **अनिवार्य अनुभवः—** चपरासी/संदेशवाहक/परिचर/ दफ्तरी के रुप में कम—से—कम 2 वर्ष का अनुभव	कालम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों में से **सीधी भर्ती द्वारा**

टिप्पणीः प्रशिक्षण के पश्चात् वर्तमान चपरासियों/जमादारों का पदनाम बदल कर मल्टी टास्किंग स्टाफ कर दिया जाएगा । मौजूदा पदधारकों की पदोन्नति/अधिवर्षिता/त्यागपत्र अथवा अन्यथा पद रिक्त होने की स्थिति में मल्टी टास्किंग स्टाफ का पद समाप्त हो जाएगा और इस पद पर आगे कोई भर्ती नहीं की जाएगी।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2016

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2016

No. NHAI/11011/19/2014-HR.I.– In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 3 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(k) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted by the Appointing Authority for judging the suitability of officers and employees of the Authority for making promotions to higher grade(s)/post(s), as specified in Regulation 13B.

(l) "Executive Committee" means a Committee comprising of Chairman and full-time Members of the Authority."

3. In regulation 5 of the principal regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) The name of the post to which this Chapter applies, its number, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 1 to 4 of the Schedule for each category of posts, provided that sanctioned number of posts upto the level of General Manager may be increased or decreased with the approval of Chairman and such an exercise to review the sanctioned strength shall be undertaken every year and promulgated by an administrative order."

4. In regulation 10 of the principal regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"Age of superannuation – (1) All officers and employees (regular as well as officers and employees appointed on contract) shall superannuate from service /cease to be in service (as the case may be) at the age, as applicable to the Central Government employees."

5. In regulation 12 of the principal regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) All vacancies in the Authority to be filled up by promotion up to the level of Manager & equivalent grades shall be filled through Departmental Promotion Committee procedure as per Regulation 13B. All other vacancies in the Authority shall be circulated among eligible Officers, and employees and in addition notified in the following manner, namely**:-**

(a) A detailed advertisement shall be hosted on the website of the Authority; and

(b) An indicative advertisement shall be published in one Hindi, one English daily newspaper and the Employment News."

6. In regulation 12 of the principal regulations, for sub-regulation (4), the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

"(4) The crucial date for **determination of eligibility** for posts to be filled on direct recruitment/ direct recruitment through lateral entry/ deputation / contract basis shall be the last date prescribed for the receipt of applications."

7. In regulation 12 of the principal regulations, after sub-regulation (5), the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) Upto 20% of sanctioned strength of Technical Cadre shall be filled from Central Engineering Service (Roads) cadre and the balance 80% should be met by 50% (maximum) from permanent cadre of the Authority and 30% by deputation from other services. In case of shortfall in any of above modes, the shortfall may be met from either of the other modes."

8. In regulation 13 of the principal regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(3) Appointment by absorption including existing cadre of NHAI officers / employees, should not exceed 50% of the sanctioned posts of Technical Cadre at the levels of Manager, Deputy General Manager and General Manager at any point of time; and the absorption shall be undertaken in a phased manner enhancing the recruitment from 25% to 50% in the coming recruitment years."

9. After regulations 13A and 13A(1) of the principal regulations, the following regulations shall be inserted, namely:-

"13B. Departmental Promotion Committee (D.P.C.):

(1) There shall be Departmental Promotion Committee(s) for selection of candidates by promotion for the posts upto the level of Manager in the Authority. The composition of the Departmental Promotion Committee(s) shall be same as prescribed under Regulation 11.

(2) Frequency at which DPC should meet: The DPC shall meet once in every year in the month of January. The vacancies as on 1st Day of January each year shall be considered by DPC for making promotion.

(3) Date for determining eligibility: The date for determining the eligibility of Officers/employees for promotion shall be the first day of the **January** of the year in which the Officer/Employee is being considered for promotion.

(4) Guidelines for DPCs: The DPC should assess the suitability of officers/employees for promotion on the basis of their Service Records and with particular reference to the APARs/CRs for five preceding financial years**.** If one or more APARs/CRs have not been written for any reason during the relevant period, the DPC should consider the APARs/CRs of the years preceding the period in question.

(5) The DPC shall determine the merit of those bein g assessed for promotion with reference to the following benchmark and accordingly grade the Officer/employee as "fit" or "unfit" only:-

For promotion to the posts having scale of pay upto PB-3 with GP 6600/- : "Good"

(6) Only those Officers/employees who are graded "f it" (i.e. who meet the prescribed benchmark) by the DPC shall be included and arranged in the select panel in order of their inter-se-seniority in the feeder grade. Those Officers/ employees who are graded "unfit" (in terms of prescribed benchmark) by the DPC shall not be included in the select panel. Thus there shall be no supersession in promotion among those who are graded "fit" (in terms of the prescribed benchmark) by the DPC.

(7) The proceedings of the DPC shall be legally valid and shall be acted upon not-with-standing the absence of any of its members other than the Presiding Officer, provided that the member was duly invited but he absented himself for one reason or the other and there was no deliberate attempt to exclude him from the deliberation of the DPC and provided further that the majority of the members constituting the DPC are present in the meeting.

(8) Implementation of the recommendations of DPC: T he recommendations of the DPC should be duly approved by the Appointing Authority and a clearance from the Vigilance Division of the Authority shall also be obtained before making promotion.

(9) The panel of selected candidates shall remain operative for one year from the date of approval of the Appointing Authority.

(10) Action on issues which are not specifically co vered in above sub regulations shall be taken as per guidelines/instructions issued by the Central Government in this regard from time to time."

13C. Appointment on Contract:

(1) Criteria for appointment: Chairman may engage officers on "Contract basis" where the age of superannuation in their parent department is less than the age of superannuation prescribed in Central Government provided that such officer has completed at least 2 years continuous service on deputation with the Authority.

(2) Period of engagement: The period for which such Officers could be engaged on "Contract basis" would be initially one year and may be extended on yearly basis or curtailed subject to satisfactory performance provided that the period of such engagement shall not be more than three years or shall not go beyond the date of superannuation prescribed by the Central Government, whichever is earlier."

10. In the Schedule to the principal regulations, the following note shall be substituted, namely:-

"**Note 1**:- Wherever the deputation is prescribed as a mode of recruitment in Column 5 of the Schedules, the period of deputation prescribed in Column 8 thereof shall be substituted, namely:-

Period of deputation:- Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance."

11. In the Schedule to the principal regulations, the Schedules prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be deleted, namely:

"General Manager (Private Investment)

Deputy General Manager (Electronics)

Manager (Electronics)

Assistant Manager (Tech.)

Assistant Manager (Vigilance)

Jamadar

Peon"

12. In the Schedule to the principal regulations, the Schedules prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be inserted, namely:

"Deputy General Manager (Media Relations)

Deputy Manager (Information Technology)

Deputy Manager (Vigilance)

Assistant Manager (Legal)

Senior Accountant

Senior Principal Private Secretary

Principal Private Secretary

Manager (Environment)

Manager (Rajbhasha)

Hindi Translator

Senior Librarian & Information Officer

Librarian

Library & Information assistant

Administrative Assistant (Library)

Parliament Assistant

Protocol Assistant

Senior Receptionist

Senior Record Keeper

Record Keeper

Administrative Assistant (Stores)

Senior Multi Tasking Staff

Multi Tasking Staff

13. In the Schedule to the principal regulations, the Schedules prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be substituted, namely:

"General Manager (Technical)

Deputy General Manager (Technical)

Manager (Technical)

General Manager (Finance)

Deputy General Manager (Finance)

Manager (F&A)

Accounts Officer

Junior Accounts Officer

Accountant

Cashier

General Manager (Admn.)

Deputy General Manager (Admn.)

Manager (Admn.)

Assistant Manager (Admn.)

Private Secretary

Personal Assistant

Stenographer Grade 'D'

Hindi Officer

Junior Hindi Translator

General Manager (Information Technology)

Deputy General Manager (Information Technology)

IndiaCode

Manager (Information Technology)

General Manager (Legal)

Deputy General Manager (Legal)

Manager (Legal)

General Manager (Environment)

Deputy General Manager (Environment)

Manager (Legal)

General Manager (Electronics)

General Manager (Transport Planner)

General Manager (Transport Economist)

General Manager (Land Acquisition & Estate Management)

Caretaker & Storekeeper

Receptionist

Staff Car Driver"

14. The four posts of Deputy Manager (Vigilance) have been created by deleting 12 posts of Assistant Manager (Vigilance). The existing incumbents shall be upgraded as Deputy Manager (Vigilance) subject to fulfillment of eligibility criteria for the post.

15. "Planning & Information Systems" have been re-designated as "Information Technology" in the revised Schedules.

NIRAJ VERMA, Member (Administration)

[ADVT III/4/Exty./84]

Foot note: The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.11012/248/2015-Admn, dated 15th February, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 19th February, 2016.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

IndiaCode

INDEX

S.No	Post
	Technical Division
1.	General Manager (Tech)
2.	Dy. General Manager (Tech)
3.	Manager (Tech)
4.	Deputy Manager (Tech)
	Finance Division
5.	General Manager (F&A)
6.	Dy. General Manager (F&A)
7.	Manager (F&A)
8.	Accounts Officer
9.	Junior Accounts Officer
10.	Senior Accountant
11.	Accountant
12.	Cashier
	Administration
13.	General Manager (Admin)
14.	Deputy General Manager (Admin)
15.	Manager (Admin)
16.	Asstt. Manager (Admin)
	Secretarial Cadre
17.	Senior Principal Private Secretary
18.	Principal Private Secretary
19.	Private Secretary
20.	Personal Assistant
21.	Stenographer
	Hindi Division
22.	Manager (Rajbhasha)
23.	Hindi Officer
24.	Hindi Translator
25.	Junior Hindi Translator
	Library
26.	Senior Librarian & Information Officer
27.	Librarian
28.	Library & Information Assistant
29.	Administrative Assistant (Library)
	IT division
30.	General Manager (IT)
31.	Deputy General Manager (IT)
32.	Manager (IT)
33.	Dy. Manager (IT)
	Legal
34.	General Manager (Legal)
35.	Deputy General Manager (Legal)
36.	Manager (Legal)
37.	Assistant Manager (Legal)

IndiaCode

	Environment
38.	General Manager (Environment)
39.	Deputy General Manager (Environment)
40.	Manager (Environment)
	Isolated cadre Officers
41.	General Manager (Electr.)
42.	General Manager (Transport Planner)
43.	General Manager (Transport Economist)
44.	General Manager (LA&EM)
45.	Deputy General Manager (Media Relations)
46.	Dy. Manager (Vigilance)
	Isolated cadre Staff:
47.	Caretaker and Storekeeper
48.	Parliament Assistant
49.	Protocol Assistant
50.	Senior Receptionist
51.	Receptionist
52.	Record Keeper
53.	Senior Record Keeper
54.	Administrative Assistant (Stores)
55.	Staff Car Driver
56.	Senior Multi Tasking Staff
57.	Multi Tasking Staff

IndiaCode

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
General Manager (Technical)	101 (2016), subject to variation dependent on workload.	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
For deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University / Institute; and (ii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **9 years'** experience in implementation of Infrastructure Sectors related to Highways, Roads and Bridges.	(1) By **promotion through selection** from amongst Deputy General Manager (Technical) of NHAI with **five years' regular service** in that post and possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in Column 7. **OR** (2) By **deputation** from:- Officers under the **Central** Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; **or** (ii) with **four years' service** in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; **or** (iii) with **nine years'** regular service as Executive Engineer; And Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in Column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy General Manager (Tech)	193 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
For deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University / Institute; and (ii) **9 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **6 years'** experience in implementation of Infrastructure Sectors related to Highways, Roads and Bridges.	(1) By **promotion through selection** from amongst Manager (Technical) of NHAI with **five years'** regular service in that post and possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in Column 7. **OR** (2) By **deputation** from:- Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent in the IDA pattern in the parent cadre/ department; **or** (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; **And** Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in Column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Manager (Technical)	365 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay of Rs.6600/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
For deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Civil Engineering from a recognized University / Institute; and (ii) **4 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **3 years'**	(1) By **promotion** from amongst Deputy Managers (Technical) of NHAI with **four** years' regular service in that post. **OR** (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department;

	experience in implementation of Infrastructure Sectors related to Highways, Roads and Bridges.	**or** (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; **or** (iii) with **eight years'** service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800/-. And Possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in Column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Deputy Manager (Technical)	110 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay of Rs.5400/-	Direct Recruitment (80%) / Deputation (20%)

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by direct recruitment / deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
For direct recruitment: Not exceeding 30 years Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree in Civil Engineering from a recognized University / Institute;	**(1) By direct recruitment:-** (i) through recruiting agency as decided by the Chairman from the candidates possessing the essential educational qualification stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement and will have written tests and interview with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year. **or** (ii) on the basis of valid Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) Score in Civil Engineering discipline; OR (2) **By Deputation** from officers of Central Engineering Service (Roads) of Ministry of Road Transport & Highways holding the post of Assistant Executive Engineer (Civil) on regular basis. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
General Manager (Fin)	05 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
For deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Commerce / Accounts from a recognized university or ICAI / ICWAI / MBA (Finance) from a recognized University / Institute; Or Member of any organized Group-'A' Finance/ Accounts related Service of the Central Government or of the State Government; and (ii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **7 years' experience** in Financial Accounting/ Budgeting/ Internal Audit/ Contract Management/ Fund Management/ Disbursement in an organization of repute.	(1) By **promotion through selection** from amongst Deputy General Manager (Finance and Accounts) of NHAI **with five years' regular service** in that post and possessing essential educational qualifications and experience stipulated in Column (7). OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years' service** in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. **<u>Period of deputation</u>** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Dy. General Manager (Fin)	17 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600	**Promotion / Deputation**

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
For deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Commerce / Accounts from a recognized university or ICAI / ICWAI / MBA (Finance) from a recognized University / Institute; Or Member of any organized Group-'A' Finance/ Accounts related Service of the Central Government or of the State Government; and (ii) **9 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **6 years' experience** in Financial Accounting/ Budgeting/ Internal Audit/ Contract Management/ Fund Management/ Disbursement in an organization of repute.	(1) By **promotion through selection** from amongst Manager (Finance and Accounts) of NHAI with **five years'** regular service in that post and possessing essential educational qualifications and experience stipulated in Column (7). OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years' service** in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Manager (F&A)	46 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
For deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Commerce / Accounts from a recognized university or ICAI / ICWAI / MBA (Finance) from a recognized University / Institute; Or Member of any organized Group-'A' Finance/ Accounts related Service of the Central Government or of the State	(1) By **promotion** from amongst Accounts Officers of NHAI with **five years'** regular service in that post. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay

	Government; and (ii) **4 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher and have **4 years' experience** in Financial Accounting/ Budgeting/ Internal Audit/ Contract Management/ Fund Management/ Disbursement in an organization of repute.	Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **five years' service** in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Accounts Officer	40 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/-	By Promotion/ Deputation/ Direct Recruitment

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation / direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
For Direct Recruitment: not exceeding 35 years For Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree in Commerce / Accounts from a recognized university or ICAI / ICWAI / MBA (Finance) from a recognized University / Institute; Or Member of any organized Group-'A' Finance/ Accounts related Service of the Central Government or of the State Government; **Essential Experience:-** At least **4 years' experience** in Financial Accounting/ Budgeting/ Internal Audit/ Contract Management/ Fund Management/ Disbursement in Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies.	(1) By **promotion** from amongst Junior Accounts Officers of NHAI with **four years' regular service** in that post and possessing essential educational qualifications stipulated in Column (7). Or (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; Or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs.9,300-34,800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. Or (3) By **Direct recruitment:** (i) from the candidates possessing the essential educational qualification stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement and will have written tests and

		interview with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Junior Accounts Officer	38 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
For Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree from Recognised university in Commerce; Or Intermediate from ICAI/ICWA Or A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any of the Organized Accounts Department of the Central Govt. Or MBA (Finance) from a recognized Institute/ University. **Essential Experience:-** At least **four years' experience** in Financial Accounting/ Budgeting/Internal Audit/ Contract Management/ Fund Management/Disbursement in Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies.	(1) By **promotion** from amongst Senior Accountants / Cashier with **five years' regular service** in that post. Or (2) By **deputation** from officer under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9,300-34,800)with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; Or (ii) with **two years' service** in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs.9,300-34,800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; Or (iii) with **five years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs.9,300-34,800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Senior Accountant	80 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
For Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree from Recognised university in Commerce; Or Intermediate from ICAI/ICWA Or A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any of the Organized Accounts Department of the Central Govt. Or MBA (Finance) from a recognized Institute/ University. **Essential Experience:-** At least **three years' experience** in Financial Accounting/ Budgeting/Internal Audit/ Contract Management/ Fund Management/Disbursement in Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies.	(1) By **promotion** from amongst **Accountants** with **four years' regular service** in that post. Or (2) By **deputation** from officer under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9,300-34,800)with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; Or (ii) with **four years' service** in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.2800/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Accountant	80 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.2800/-	**Direct Recruitment**

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by Direct Recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Not exceeding 30 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree from a Recognised University in Commerce;	By **Direct recruitment:** From the candidates possessing the essential educational qualification stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement and

	Or Intermediate from ICAI/ICWA Or A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any of the Organized Accounts Department of the Central Govt. Or MBA (Finance) from a recognized Institute/ University.	will have written tests and interview with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Cashier	01 (2016)	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/-	Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree from Recognised university / Institute. **Essential Experience:-** At least **six years' experience** in Finance/Accounts Department of Govt of India / State Govt / PSU / Autonomous Body / Undertaking.	(1) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9,300-34,800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.2800- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
General Manager (Administration)	04 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree of a recognized University /Institute ; and (ii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which ***five*** **years** experience in Administration / Establishment / Human Resource / Personnel Management.	(1) By **promotion through selection** from amongst Deputy General Manager (Administration) of NHAI with ***five years'*** *regular service* in that post and possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy General Manager (Administration)	09 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600	Promotion / deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree of a recognized University /Institute ; and	(1) By **promotion through selection** from amongst Manager (Administration) of NHAI with **five years'** regular service in that post and possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR

	(ii) **9 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **four years** experience in Administration / Establishment / Human Resource / Personnel Management.	(2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years' service** in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Manager (Administration)	10 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600	Promotion /deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree of a recognized University /Institute ; **Essential Experience for deputation:-** At least **four years experience** in Administration / Establishment / Human Resource / Personnel Management.	(1) By **promotion** from amongst Assistant Managers (Administration) of NHAI with **seven years'** regular service in *that post*. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department;

		or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **six years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4800/- or above (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Assistant Manager (Administration)	12 (2016), subject to variation dependent on workload	Group B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800/- *	50% through Promotion by selection and 50% through Deputation/ Direct Recruitment

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation/direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years Direct Recruitment: Not exceeding 30 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree of a recognized University /Institute ; **Essential Experience for deputation/ direct recruitment:-** At least **three years experience** in Administration / Establishment / Human Resource / Personnel Management.	(1) By **promotion** through selection by written examination / interview from amongst candidates of NHAI holding the post of:- Private Secretary on regular basis or Personal Assistant with **five years' regular service** in that post or Caretaker & Storekeeper with **8 years regular service** in that post or Receptionist with **12 years regular service** in that post and possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. OR (2) By **deputation/ direct recruitment** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **three years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA

		pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **five years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

* PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400 on completion of 4 years of regular service.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Senior Principal Private Secretary	4 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600/-	Promotion / deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	Bachelor's Degree from a recognized University/ Institute;	(1) By **promotion** through selection from amongst Principal Private Secretaries of NHAI with **five years' regular** service in that post and possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) ***or equivalent in IDA pattern*** in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years' regular** service in the post of Principal Private Secretary in the pay scale of PB-3 (Rs.15600-39,100) with Grade Pay of Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation

India Code

		for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Principal Private Secretary	28 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600	Promotion / deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	Bachelor's Degree from a recognized University/ Institute;	(1) By **promotion** from amongst Private Secretaries of NHAI with **seven years' regular** service in that post and possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) ***or equivalent in IDA pattern*** in the parent cadre/ department; or (ii) with **six years' regular** service in the post of Private Secretary in the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Private Secretary	56 (2016), subject to variation depending on workload	Group B	PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4800 #	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation , the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** (i) 12th or equivalent from a recognized Board of Education/ Institute; and (ii) Dictation of 10 minutes at the speed of 100 words per minute in Shorthand (English/Hindi) and transcription time (on computer only) is 40 minutes for English and 55 minutes for Hindi.	(1) **By promotion** (i) Limited Departmental Examination – 90% Quota: From amongst Personal Assistants of NHAI with **five** years' regular service in that post and possessing minimum speed of 100 words per minute in shorthand (English/Hindi) and 40 words per minutes in typing on computer. (ii) Seniority – 10 % Quota: From amongst Personal Assistants of NHAI with **eight** years' regular service in that post. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay of Rs.4800/- (in CDA pattern) ***or equivalent in IDA pattern*** in the parent cadre/ department; or (ii) with **four** years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay of Rs.4600/- (in CDA pattern) ***or equivalent in IDA pattern*** in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400 on completion of 4 years regular service.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Personal Assistant	170 (2016), subject to variation depending on workload	Group B	PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.**4600/-**	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion/ deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** (i) 12th or equivalent from a	(1) **By promotion** (i) Limited Departmental Examination – 90% Quota: From amongst Stenographers of NHAI with **five** years' regular service in that post and possessing minimum speed of 100 words per

	recognized Board of Education/ Institute; and (ii) Dictation of 10 minutes at the speed of 100 words per minute in Shorthand (English/Hindi) and transcription time (on computer only) is 40 minutes for English and 55 minutes for Hindi.	minute in shorthand (English/Hindi) and 40 words per minutes in typing on computer. (ii) Seniority – 10 % Quota: From amongst Stenographers of NHAI with **eight** years' regular service in that post. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay of Rs.4600/- (in CDA pattern) or ***equivalent in IDA pattern*** in the parent cadre/ department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay of Rs.2400/- (in CDA pattern) ***equivalent in IDA pattern*** in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Stenographer Grade 'D'	**82 (2016),** subject to variation depending on workload	Group C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.2400	Direct Recruitment

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion/ direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Not exceeding 28 years	**Essential Educational Qualification:-** (i) 12th or equivalent from a recognized Board of Education/ Institute; and (ii) Dictation of 10 minutes at the speed of 80 words per minute in Shorthand (English/Hindi) and transcription time (on computer only) is 50 minutes for English and 65 minutes for Hindi.	By **direct recruitment** Through recruiting agency as decided by the Chairman from the candidates possessing the essential educational qualification stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement and will have entrance tests and skill tests with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year.

Name of Post	No. of Post	Classification of Post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Manager (Rajbhasha)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group- A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay of Rs.6600/-	Promotion / deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion/ deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Educational qualifications:** **Essential:-** Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at the degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with English Medium and Hindi as a subject at the degree level. **Desirable:-** (i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution. or (ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized University. **Essential Experience:-** Eight years experience of using /applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-a-versa, preferably of technical or scientific literature	(1) By **promotion** from amongst Hindi Officer of NHAI **with five years' regular** service in that post. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-3900) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay of Rs.5400/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **seven years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7 **<u>Period of deputation</u>** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of Post	No. of post	Classification of Post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Hindi Officer	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay of Rs.5400	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion/ deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential educational qualification:-** Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at the degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with English Medium and Hindi as a subject at the degree level. **Desirable educational qualification:-** (i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution. or (ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized University. **Essential Experience for deputation:-** Five years experience of using /applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-a-versa, preferably of technical or scientific literature.	(1) By **promotion** from amongst Hindi Translator in NHAI with **four years'** regular service in that post. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **three** years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **five years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7 **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of Post	No. of posts	Classification of Post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Hindi Translator	03 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay of Rs.4800	Promotion / Deputation / Direct Recruitment / Contract

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation / direct recruitment/, the grades from which to be made
6	7	8
Direct Recruitment: Not exceeding 30 years Deputation : Not exceeding 56 years Contract: Not exceeding 40 years	**Essential educational qualification:-** (I) Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND (II) Recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-a-versa or three years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India undertaking. **Desirable educational qualification:-** (i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution. OR (ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized University.	(1) By **promotion** from amongst Junior Hindi Translators in NHAI with **six years'** regular service in that post. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **two years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **six years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay of Rs.4200 (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7 OR (3) By **direct recruitment** from candidates possessing the qualifications and experience stipulated in Col. 7. Direct Recruitment will be through open advertisement and will have written tests with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year.

		OR (4) By **Contract** (on organizational need basis) through open advertisement from applicants possessing educational qualifications stipulated in Col. 7. Recruitment will be through Selection Committee on the basis of written test. There will be no absorption/ regularization for this mode of selection. Initial period of contract shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. **Period of Deputation:** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of Post	No. of posts	Classification of Post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Junior Hindi Translator	03 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay of Rs.4200/-	Deputation / Direct Recruitment / Contract

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation / direct recruitment/, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Direct Recruitment: Not exceeding 30 years Deputation – Not exceeding 56 years Contract: Not exceeding 40 years	**Essential educational qualification:-** (I) Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level; OR Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND	(1) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **five years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay Rs.2800/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **eight years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay Rs.2400/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7

IndiaCode

	(II) Recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-a-versa or three years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India undertaking. **Desirable educational qualification:-** (i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution. OR (ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognized University.	OR (3) **By direct recruitment** from candidates possessing the qualifications and experience stipulated in Col. 7. Direct Recruitment will be through open advertisement and will have written tests with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year. OR (4) **By Contract** Recruitment (on organizational need basis) through open advertisement from applicants possessing educational qualifications stipulated in Col. 7. Recruitment will be through Selection Committee on the basis of written test. There will be no absorption/regularization for this mode of selection. Initial period of contract shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. **Period of Deputation:** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Senior Librarian & Information Officer	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Masters' Degree in Library Science from a recognized University/ Institute. **Essential Experience:-** Five years' experience in a Library under Central / State Government / Autonomous or Statutory organization / PSU / University or Recognized Research or Educational Institution.	(1) By **promotion** from amongst Librarian with eight years' regular service in the Grade Pay of Rs.4600/- and above. OR (2) By **deputation** from:- Officers under the **Central** Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; **or** (ii) with **eight years' service** in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in Column 7.

		Period of deputation Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Librarian	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay of Rs.4600	Promotion /deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Master's Degree in Library Science from a recognized University/ Institute. **Essential Experience:-** Four years' experience in a Library under Central / State Government / Autonomous or Statutory organization / PSU / University or Recognized Research or Educational Institution.	(1) By **promotion** from amongst Library & Information Assistant with five years' regular service in that post. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre / department; or (ii) with four years' service in the grade rendered after appointment there on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Library & Information Assistant	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay of Rs.4200	Promotion / deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:** Bachelor's Degree in Library Science from a recognized University/ Institute. **Essential Experience:-** Two years' experience in a Library under Central / State Government / Autonomous or Statutory organization / PSU / University or Recognized Research or Educational Institution.	**(1) By promotion** from amongst Admin Assistant (Library) with ten years' regular service in the pay scale of Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay Rs.1900/- and possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre / department; or (ii) with 6 years' service in the grade rendered after appointment there on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay Rs.2800/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Administrative Assistant (Library)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-C	PB-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay of Rs.1900	Promotion / Direct Recruitment

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Direct Recruitment: Not exceeding 28 years	**Essential Educational Qualification:** Bachelor's Degree in Library Science from a recognized University/ Institute.	**(1) By promotion** from candidates holding the post of a Peon / Jamadar on regular basis for a period of at least five years and possessing the essential educational stipulated in column 7. OR (2) By **direct recruitment** from candidates possessing the educational qualification stipulated in column 7.

Note: The posts of Administrative Assistant (Library) will stand abolished after it fall vacant on promotion/ superannuation / resignation or otherwise and no further recruitment will be made to this post.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
General Manager (Information Technology)	03 (2016), subject to variation dependent on workload	**Group A**	**PB -4, Rs. 37400 - 67000 plus Grade Pay of Rs. 8700**	By Promotion / by Deputation/ Contract ;

India Code

Age limit	Educational qualification and experience required		In case of recruitment by promotion / deputation / contract, the grades from which to be made
6	7	7(a)	8
For deputation AND For Contract: Not exceeding 56 Years	Educational Qualification	Minimum required experience in Computer Programming / Software / System Design / System/ Integration related work on any IT project.	(1) By **promotion through selection** from internal candidates having **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher over and above educational qualifications and experience stipulated in Col. 7 & 7(a), out of which 5 years regular service in the grade of Deputy General Managers. OR (2) By **deputation** from candidates holding core I.T. related posts in a Central/State Govt Deptt/ Autonomous Body/ PSU possessing the qualifications and **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher over and above educational qualification and experience stipulated in Col. 7 & 7(a), out of which 4 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -3 (Rs.15,600-39,100) with
	(i) BE / B Tech. in Computer Science/ Information Technology or specialized equivalent qualification from a recognized University/ from a institute of repute / C level certification course from DOEACC.	Nil	
	OR (ii) Bachelor's Degree in Engineering / Technology (any discipline) / Science AND MBA (Information System/ Information Technology) / Advance or Post Graduate Diploma in Computer Applications/ Advanced Computing/ Mobile Computing/ IT Infrastructure, System and Security/ Cyber Security / Embedded Systems and Design/ System		

	Software Development/ Big Data Analytics/ Automation SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition) Systems/Multimedia or any related field etc. /		Grade Pay of Rs.7600/- or equivalent in IDA pattern in the parent cadre / department. OR (3) By **Contract** (on organizational need basis) through open advertisement from applicants with 12 years experience over and above educational qualifications and experience stipulated in Col. 7 & 7(a) in a Computer Programming and MIS related work from I.T. organization with flexible mode of selection as decided with the approval of the Chairman. There will be no absorption/ regularization for this mode of selection. Period of contract on selection shall be for an initial period of 3 years, extendable by two more years with the approval of the Chairman. **Period of Deputation:** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.
	OR (iii) M.Sc. in Computer Science / Information Technology / Multimedia etc.	1 Year	
	OR (iv) MCA / B Level certification course from DOEACC with B.Sc. (Mathematics as a subject)	2 Year	
	OR (iv) B.Sc. (Computer Science / Information Technology / Multimedia) / BCA or Equivalent from a recognized university/from a institute of repute / A level certification course from DOEACC	3 Year	

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Deputy General Manager (Information Technology)	04 (2016), subject to variation dependent on workload	**Group A**	**PB -3, Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600/-**	By Promotion / by Deputation/ Contract ;

Age limit	Educational qualification and experience required		In case of recruitment by promotion / deputation / contract, the grades from which to be made
6	**7**	**7(a)**	**8**
For deputation AND For Contract: Not exceeding 56 Years	Educational Qualification	Minimum required experience in Computer Programming / Software / System Design / System/ Integration related work on any IT project.	(1) By **promotion through selection** from internal candidates having **9 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher over and above educational qualifications and experience stipulated in Col. 7 & 7(a), out of which **5 years** regular service in the grade of Manager.
	(i) BE / B Tech. in Computer Science/		

	Information Technology or specialized equivalent qualification from a recognized University/ from a institute of repute / C level certification course from DOEACC.		OR (2) By **deputation** from candidates holding core I.T. related posts in a Central/State Govt Deptt/ Autonomous Body/ PSU possessing the qualifications and **9 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher over and above educational qualification and experience stipulated in Col. 7 & 7(a), out of which **5 years** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay of Rs.6600/- or equivalent in IDA pattern in the parent cadre / department. OR (3) By **Contract** (on organizational need basis) through open advertisement from applicants with **9 years'** experience over and above educational qualifications and experience stipulated in Col. 7 & 7(a), in a Computer Programming and MIS related work from I.T. organization with flexible mode of selection as decided with the approval of the Chairman. There will be no absorption/regularization for this mode of selection. Period of contract on selection shall be for an initial period of 3 years, extendable by two more years with the approval of the Chairman. **Period of Deputation:** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.
	OR (ii) Bachelor's Degree in Engineering / Technology (any discipline) / Science AND MBA (Information System/ Information Technology) / Advance or Post Graduate Diploma in Computer Applications/ Advanced Computing/ Mobile Computing/ IT Infrastructure, System and Security/ Cyber Security / Embedded Systems and Design/ System Software Development/ Big Data Analytics/ Automation SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition) Systems/Multimedia or any related field etc. /		
	OR (iii) M.Sc. in Computer Science / Information Technology / Multimedia etc.	1 Year	
	OR (iv) MCA / B Level certification course from DOEACC with B.Sc. (Mathematics as a subject)	2 Year	
	OR (iv) B.Sc. (Computer Science / Information Technology / Multimedia) / BCA or Equivalent from a recognized university/from a institute of repute / A level certification course from DOEACC	3 Year	

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Manager (Information Technology)	04 (2016), subject to variation dependent on workload	**Group A**	**PB -3, Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/-**	By Promotion / by Deputation/ Contract ;

IndiaCode

Age limit	Educational qualification and experience required		In case of recruitment by promotion / deputation / contract, the grades from which to be made
6	7	7(a)	8
For deputation: Not exceeding 56 years AND For Contract: Not exceeding 48 Years	Educational Qualification	Minimum required experience in Computer Programming / Software / System Design / System/ Integration related work on any IT project.	(1) By **promotion** from internal candidates having **4 years' regular service in the grade of Deputy Manager** and possessing educational qualifications and experience stipulated in Col. 7 & 7(a). OR (2) By **deputation** from candidates holding core I.T. related posts in a Central/State Govt Deptt/ Autonomous Body/ PSU possessing the qualifications and **4 years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band -3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay of Rs.5400/- or equivalent in IDA pattern in the parent cadre / department over and above educational qualification and experience stipulated in Col. 7 & 7(a). OR (3) By **Contract** (on organizational need basis) through open advertisement from applicants with 5 Year experience over and above educational qualifications and experience stipulated in Col. 7 & 7(a) in a Computer Programming and MIS related work from I.T. organization with flexible mode of selection as decided with the approval of the Chairman. Period of contract on selection shall be for an initial period of 3 years, extendable by two more years with the approval of the Chairman. Meritorious officers may be considered for regularization/ absorption as per recommendations of Selection Committee and approval of the Chairman. **Period of Deputation:** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.
	(i) BE / B Tech. in Computer Science/ Information Technology or specialized equivalent qualification from a recognized University/ from a institute of repute / C level certification course from DOEACC.		
	OR (ii) Bachelor's Degree in Engineering / Technology (any discipline) / Science AND MBA (Information System/ Information Technology) / Advance or Post Graduate Diploma in Computer Applications/ Advanced Computing/ Mobile Computing/ IT Infrastructure, System and Security/ Cyber Security / Embedded Systems and Design/ System Software Development/ Big Data Analytics/ Automation SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition) Systems/Multimedia or any related field etc. /		
	OR (iii) M.Sc. in Computer Science / Information Technology / Multimedia etc.	1 Year	
	OR (iv) MCA / B Level certification course from DOEACC with B.Sc. (Mathematics as a subject)	2 Year	
	OR (iv) B.Sc. (Computer Science / Information Technology / Multimedia) / BCA or Equivalent from a recognized university/from a institute of repute / A level certification course from DOEACC	3 Year	

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy Manager (Information Technology)	22 (Twenty Two) 4 posts for HQ and 18 posts for RO (subject to variation dependent on workload)	**Group A**	**PB -3, Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 5400/-**	70% by Direct Recruitment and 30 % by Contract ; in case of vacancy in direct recruitment posts, % for contract can be increased

Age limit	Educational qualification and experience required		In case of recruitment by direct recruitment / contract, the grades from which to be made
6	7	7(a)	8
Direct Recruitment: Not exceeding 35 Years AND For Contract: Not exceeding 45 Years	Educational Qualification	Minimum required experience in Computer Programming / Software / System Design / System/ Integration related work on any IT project.	(1) By **direct recruitment** from candidates possessing the qualifications and experience stipulated in Col. 7 and 7(a) or from candidates holding core I.T. related posts in a Central/State Govt Deptt/ Autonomous Body/ PSU / Private or Public Commercial IT organisation of repute; (i) Direct Recruitment will be through open advertisement and will have written tests, practical tests and interview with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year. Or (ii) on the basis of valid Graduate Aptitude Test in Engineering (GATE) Score in Computer Science discipline; OR (2) By **Contract** (on organizational need basis) through open advertisement from applicants possessing educational qualifications stipulated in Col. 7 and 7 (a) with flexible mode of selection as decided with the approval of the Chairman. Meritorious officers may be considered for regularization/ absorption as per recommendations of Selection Committee and approval of the Chairman. **Period of Contract:** Period of contract on selection shall be for an initial period of 3 years, extendable by two more years with
	(i) BE / B Tech. in Computer Science/ Information Technology or specialized equivalent qualification from a recognized University/ from a institute of repute / C level certification course from DOEACC.		
	OR (ii) Bachelor's Degree in Engineering / Technology (any discipline) / Science AND MBA (Information System/ Information Technology) / Advance or Post Graduate Diploma in Computer Applications/ Advanced Computing/ Mobile Computing/ IT Infrastructure, System and Security/ Cyber Security / Embedded Systems and Design/ System Software Development/ Big Data Analytics/ Automation SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition) Systems/Multimedia or any related field etc. /		
	OR (iii) M.Sc. in Computer Science / Information Technology / Multimedia etc.	1 Year	
	OR (iv) MCA / B Level certification course from DOEACC with B.Sc. (Mathematics as a subject)	2 Year	

	OR (iv) B.Sc. (Computer Science / Information Technology / Multimedia) / BCA or Equivalent from a recognized university/from a institute of repute / A level certification course from DOEACC	3 Year	the approval of the Chairman.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
General Manager (Legal)	02 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Law from a recognized University /Institute ; and (ii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **7 years** experience in the field of law related to contractual matters/ arbitration / legislative matters / land acquisition.	(1) By **promotion through selection** from amongst Deputy General Manager (Legal) of NHAI with **five years'** regular service in that post and possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy General Manager (Legal)	02 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Law from a recognized University /Institute ; and (ii) **9 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **6 years** experience in the field of law related to contractual matters/ arbitration / legislative matters / land acquisition.	(1) By **promotion through selection** from amongst Manager (Legal) of NHAI with **five** *years'* regular service in that post and possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **<u>Period of deputation</u>** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

IndiaCode

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Manager (Legal)	05 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion & deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Law from a recognized University /Institute ; and (ii) **5 years** experience in the field of law related to contractual matters/ arbitration / legislative matters / land acquisition.	(1) By **promotion** from amongst Assistant Managers (Legal) of NHAI with **seven years'** regular service in *that post*. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (iii) with **seven years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4800- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **<u>Period of deputation</u>** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Assistant Manager (Legal)	19 (2016), subject to variation dependent on workload	Group B	PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800/-	Direct Recruitment (70%) / Deputation (30%) (in case of vacancy in direct recruitment posts, % for deputation can be increased)

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation / direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years Direct Recruitment: Not exceeding 30 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Law from a recognized University /Institute ; and (ii) **2 years** experience in the field of law related to contractual matters/ arbitration / legislative matters / land acquisition.	(1) **Direct recruitment** (i) from candidates possessing the qualifications and experience stipulated in Col. 7. Direct Recruitment will be through open advertisement and will have written tests and interview with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year. OR (2) By **deputation** officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **three years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **five years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7. **<u>Period of deputation</u>** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
General Manager (Environment)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree of a recognized University, with at least one of the subjects namely Animal Husbandry & Veterinary Science, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology or a Degree in Agriculture, Forestry or in Engineering from a recognized University; and (ii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **7 years** experience in the field of environmental sciences / environmental engineering / processing environmental clearances cases as per norms formulated by Government of India / conducting of Environmental Impact Assessment of major projects / monitoring implementation of Environmental Management Plan.	(1) By **promotion through selection** from amongst Deputy General Manager (Environment) of NHAI with **five years'** regular service in that post and possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy General Manager (Environment)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree of a recognized University, with at least one of the subjects namely Animal Husbandry & Veterinary Science, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology or a Degree in Agriculture, Forestry or in Engineering from a recognized University; And (ii) **9 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **6 years** experience in the field of environmental sciences / environmental engineering / processing environmental clearances cases as per norms formulated by Government of India / conducting of Environmental Impact Assessment of major projects / monitoring implementation of Environmental Management Plan.	(1) By **promotion through selection** from amongst Manager (Environment) of NHAI with **five years'** regular service in that post and possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Manager (Environment)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/-	Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree of a recognized University, with at least one of the subjects namely Animal Husbandry & Veterinary Science, Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics, Statistics and Zoology or a Degree in Agriculture, Forestry or in Engineering from a recognized University; And (ii) **5 years** experience in the field of environmental sciences / environmental engineering / processing environmental clearances cases as per norms formulated by Government of India / conducting of Environmental Impact Assessment of major projects / monitoring implementation of Environmental Management Plan.	By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; Or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **seven years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4800- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
General Manager (Electronics)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification and Experience:-** (i) Degree in Electronics and Communications Engineering from a recognized University /Institute ; and (ii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **7 years** experience in dealing with works / projects related to Electronics & Communications / Information Technology in State / Central Govt Department / Public Sector Undertaking / Autonomous Body	(1) By **promotion through selection** from amongst Deputy General Managers of NHAI with **five years'** regular service in that post and possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
General Manager (Transport Planner)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-	Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification & Experience:-** (i) Bachelor's Degree in Civil Engineering or equivalent from a recognized University/ Institute; and (ii) Post Graduate Degree / Post	(1) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the

	Graduate Diploma in Transport Planning from a recognized University/ Institute; and (iii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **7 years** experience in assessment of transport projects, preferably of road projects.	pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
General Manager (Transport Economist)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-	Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation/ direct recruitment, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification & Experience:-** (i) Post Graduation in Economics from a recognized University/ Institute; and (iii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **7 years** experience in economic analysis/ financial appraisal of projects, preferably in transport/ road sector.	(1) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7.

IndiaCode

		Period of deputation Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	**2**	**3**	**4**	**5**
General Manager (Land Acquisition & Estate Management)	02 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	**7**	**8**
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification & Experience:-** (i) Degree from a recognized University/ Institute; and (iii) **14 years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which at least **five years** experience in handling land acquisition matters.	(1) By **promotion through selection** from amongst Deputy General Managers of NHAI with **five years' regular service** in that post and possessing essential educational qualification and experience as stipulated in Column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.8700/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy General Manager (Media Relations)	01 (2016), subject to variation dependent on workload	Group-A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion / deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** **A.**(i) Bachelor's Degree from a recognized University/ Institute; and (ii) Post Graduate Degree/ Diploma in Journalism and Mass Communications/ Public Relations or equivalent from a recognized University / Institute. OR **B.** An officer of Indian Information Service (IIS). **Essential Experience:-** **Nine years' experience** in the Pay Scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/- or equivalent or higher out of which **five years** experience in Advertising/ Publicity/ Public Relations/ Media Relations/ Journalism.	(1) By **promotion through selection** from amongst Managers or equivalent of NHAI with **five years'** regular service in that post and possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.7600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.6600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy Manager (Vigilance)	4 (2016), subject to variation dependent on workload	Group A	PB-3 (Rs.15,600-39,100) with Grade Pay Rs.5400/-	Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree of a recognized University. **Essential Experience:-** At least **three years** experience in disciplinary and vigilance matters in Government Department.	By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-3 (Rs. Rs.15,600-39,100/-) with Grade Pay Rs.5400/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (ii) with **three years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; or (iii) with **six years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4600/- (in CDA pattern) or equivalent pay scale in IDA pattern in the parent cadre/ department; and Possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for a period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Indiacode

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Caretaker and Storekeeper	01 (2016), subject to variation depending on workload	Group B	PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4200/-	Promotion / Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion/ deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation: Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree from a recognized University/ Institute. **Essential Experience:-** At least **five years** experience in storekeeping and maintenance of records of stores with knowledge of computers.	(1) By **promotion** from amongst candidates of NHAI:- with **ten years'** regular service in the post of Administrative Assistant (Stores) and possessing the essential educational qualification and experience stipulated in column 7. OR (2) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay of Rs.4200/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (ii) with **four years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay of Rs.2400/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Parliament Assistant	01 (2016), subject to variation depending on workload	Group B	PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4200/-	Deputation

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation, the grades from which to be made
6	7	8
Deputation : Not exceeding 56 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree from a recognized University/ Institute. **Essential Experience:-** At least **three years** experience in Liaisoning in Parliament matters, related to Parliament Questions, Parliament Committees, arrangement of passes etc.	(1) By **deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay of Rs.4200/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; or (ii) with **eight years'** service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay of Rs.2400/- (in CDA pattern) *or equivalent in IDA pattern* in the parent cadre/ department; and Possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in column 7. **<u>Period of deputation</u>** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Scale in CDA pattern	Mode of recruitment	Age limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Protocol Assistant	01 (2016)	Group-B	PB-2 (Rs.9300-34800) with GP Rs.4200/-	Deputation/ Direct Recruitment / Contract	For deputation / contract: Not exceeding 56 years For Direct Recruitment: Not exceeding 30 years

Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation / direct recruitment /contract, the grades from which to be made
(7)	(8)
Essential: Bachelor's degree in any discipline of a recognized University or equivalent; **Essential Experience:** Minimum **three** years' experience in protocol works preferably with senior officers / Minister of Government of India.	(1) By **Deputation** from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies: (i) holding analogous post on regular basis in the pay scale of Pay Band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4200/- (in CDA pattern) in the parent cadre/department; or (ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the pay scale of Pay Band-1 (Rs.5200-20200) with Grade Pay Rs.2400/- (in CDA pattern) in the parent cadre/department; and Possessing the essential educational qualifications and essential experience stipulated in Column 7. OR (2) By direct recruitment from candidates possessing essential educational qualifications and essential experience stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement and will have written tests with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year. OR (3) By **Contract** (on organizational need basis) through open advertisement from applicants possessing educational qualifications and experience stipulated in Col. 7. **Period of Deputation** Initial period of deputation shall be 03 years, which may be extended for a period of 02 years with the approval of Chairman. Further extension in the period of deputation for another period of 2 years beyond 05 years shall be done with the approval of Ministry of Road Transport & Highways, subject to satisfactory performance.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Senior Receptionist	01 (2016), subject to variation depending on workload	Group B	PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4200/-	Promotion

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion, the grades from which to be made
6	7	8
Not Applicable	**Essential Educational Qualification:-** Degree from a recognized University / Institute.	By **promotion** from amongst Receptionist of NHAI with **eight years'** regular service in that post and possessing the educational qualifications stipulated in column 7.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Receptionist	02 (2016), subject to variation depending on workload	Group C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.2400/-	Direct Recruitment

Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Not exceeding 30 years	**Essential Educational Qualification:-** Degree from a recognized University / Institute. **Essential Experience:-** At least **two year's** experience of handling telephone calls and recording incoming and outgoing letters/ files in dak register. Should also possess experience of working on Computer (MS-Word / Excel).	By **direct recruitment** through recruiting agency as decided by the Chairman from the candidates possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Record Keeper	01 (2016), subject to variation depending on workload	Group C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.2400/-	Direct Recruitment

Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Not exceeding 30 years	**Essential Educational Qualification:-** Senior Secondary (10+2) or equivalent from a recognized Board of Examination/ Institute. **Essential Experience:-** At least two year's experience of maintenance/ storage of office records in a Government Department and knowledge of computers.	By **direct recruitment** through recruiting agency as decided by the Chairman from the candidates possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year.

Note: The post of Record Keeper will stand abolished after it fall vacant on promotion / superannuation / resignation or otherwise of the existing incumbent and no further recruitment will be made to this post.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Senior Record Keeper	01 (2016), subject to variation depending on workload	Group B	PB-2 (Rs.9300-34,800) with Grade Pay Rs.4200/-	Promotion

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion, the grades from which to be made
6	7	8
Not Applicable	**Essential Educational Qualification:-** Degree from a recognized University / Institute.	By **promotion** from Record Keeper of NHAI with **eight years'** regular service in that post and possessing the educational qualifications stipulated in column 7.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Administrative Assistant (Stores)	01 (2016), subject to variation depending on workload	Group C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.1900/-	Promotion / Direct Recruitment

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion, the grades from which to be made
6	7	8
DR: Not exceeding 30 years	**Essential Educational Qualification:-** Senior Secondary (10+2) or equivalent from a recognized Board of Education/ Institute. **Essential Experience:-** At least two years experience in storekeeping and maintenance of records of stores.	(1) By **promotion** from amongst Multi Tasking Staff **with five years' regular service** in that post and possessing the essential educational qualification and experience stipulated in column 7. OR (2) By **direct recruitment** through recruiting agency as decided by the Chairman from the candidates possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Staff Car Driver	03 (2016), subject to variation depending on workload	Group-C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.1900/-	Direct Recruitment / Contract

Age limit (in respect of direct recruit/contract only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by direct recruitment/ contract, the grades from which to be made
6	7	8
Not exceeding 28 years	**Essential Educational Qualification:-** Matriculation or equivalent from a recognized Board of Education/ Institute; **Essential Experience**:- Proficient in driving Light Motor Vehicles and possessing Driving License for Light Motor Vehicle for at least two years.	By **direct recruitment / contract** through recruiting agency as decided by the Chairman from the candidates possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in Column 7. Direct Recruitment will be through open advertisement with applicable reservation criteria as per GOI rules and will have probation of one year.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Senior Multi Tasking Staff	01 (2016), subject to variation depending on workload	Group-C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.1900/-	Promotion

Age limit	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion, the grades from which to be made
6	7	8
Not Applicable	**Not Applicable**	(1) By **promotion** from amongst Multi Tasking Staff of NHAI with five years' regular service in that post.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Multi Tasking Staff	04 (2016), subject to variation depending on workload	Group-C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.1800/-	Direct Recruitment

Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Between 18 and 25 years	**Essential Educational Qualification:-** Matriculation examination from a recognized Board of examination/ Institute. **Essential Experience**:- At least two years of experience as Peon/ Messenger/ Attendant / Daftry.	By **direct recruitment** from candidates possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in column 7.

Note: The existing Peons/Jamadar will be re-designated as Multi Tasking Staff after training. The post of Multi Tasking Staff will stand abolished after it fall vacant on promotion / superannuation / resignation or otherwise of the existing incumbents and no further recruitment will be made to this post.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.